(Minimum Wages) 234 and Welfare Bill 1986

THE COMPULSORY VOCATIONAL EDUCATION BILL, 1990

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया (बिहार): मैं प्रस्ताव तरना हुं कि -

शैक्षणिक संस्थानों में श्रनिवार्य व्यव-सायिक श्रौर तकनोकी शिक्षा प्रदान कराने श्रौर उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पूरः स्थापित करने की श्रनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालियाः मैं इस निधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

THE CONSTITUTION (AMEND-MENT) BILL, 1990

(Insertion of new Article 18A)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहसुवालिया (बिहार): मं प्रस्ताव करता हो के-

भारत के संविधात का ग्रौर संशिधन करने वाले विधेयक का पुरास्थापित करने की अनुमति वं: ाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया : मैं इस विधेयक का पुरःस्थापित करता हूं।

THE RAILWAYS PASSENGERS' INSURANCE SCHEME BILL, 1990

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया : (बिहार): में प्रस्ताव करती हू कि---

रेल यातियों की जान, सामान क्रीर अन्य माल असजाब के लिए व्यापक बीमा योजना और उससे संबंधित मामलों का उन्बंध करने वाले विधेनक को पुरस्थाधित करने की अनुमति दी जाए। The question was put and the motion was adopted.

श्रो सुरेन्द्रजोत सिंह ग्रह्नुवािया : में इस विधेयक का पुरःस्थापित करता हूं।

THE CONSTITUTION (AMEND-MENT) BILL, 1990

(To amend Article 51A)

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Sir, I introduce the Bill.

THE AGRICULTURAL WORKERS' (MINIMUM WAGES AND WEL-FARE) BILL, 1986 (Contd.)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Shri Ramdas Agarwal—Not here. Shri Ram Awadhesh Singh—Not here. Shrimati Bijoya Chakravarty—Not here. Shri Ram Jethmalani—Not here.

Now we will take up the Agricultural Workers (Minimum Wages and Welfare) Bill, 1986 Mr. Shanti Tyagi.

श्री शांति त्यागी (उत्तर प्रदेश) :
श्रीमन, पिछला बार मानन थ बलराम जी
के षि-म दूरों संबंधा विधेयत पर श्रप्नी स्पांच शुरू करते हुए मैंने कहा था कि
में विशेषलार पिष्टमी उत्तर प्रदेश के खेत-म दूरों की दशा के बारे में कहांगा। मैं मानता हू कि शेष भारत में ता खेत-मादूरों की हालत श्रीर भी खराब है, श्रीर बदलर है। मैंने यह भी खराब है, श्रीर बदलर है। मैंने यह भी खराब है, श्रीर बदलर है। मैंने यह भी कहा या कि पिष्टमी उत्तर प्रदेश में कृषि-मजदूर की बहुत बड़ी म्ख्या शेंड्यूल्ड क्रास्टस, पिछड़ी पातियों श्रीर मुक्तिम सम्दाय में से श्राती है श्रीर श्रव बिहार के मादूर भी पश्चिमी-दत्तर पदेश में काम करने के लिए श्राने लगे हैं, उनकी तादाद बढ़ रहीं हैं।

शाना, एक तो व स्थि-मजदूर हैं, जो साल के साल धनी किसानों की खेती में काम करते हैं। ये मजदूर उनकी मगानों पर, ट्यूबबल पर, खेशर पर श्रीर पावर के जा कोल्ह चलते हैं, उन पर काम करते हैं श्रीर दूसरे एसे काम करते हैं। धना कि अनों के यहां सीलीना कीम करने वाले ये जो मजदूर हैं, इनकी तादाद बहुत कम है, बहुत ज्यादा लाग ये नहीं हैं। धनी किसानों के यहां उनकी खेती में जीम करने वाले साल भर के जो राजर मादूर हैं, उनके श्रलावा मीजनल मादूर भा जीम करते हैं बुग्राई के वक्त, काई के वक्त श्रीर एसे ही मौकों पर।

श्रीना, धनी किसानों के ग्रलावा एक केटेरा प्रोर है, जा खाला उत्तरप्रदेश में इा नहीं, सब जगह है मिडिल किसान श्रीर कुछ छाटा किसान। इनके यहां भी साम में कभी कभी वक्त पड़ने पर, काम का अदता हाने पर माइरों की जरूरत रहा है। महाने में, साल भर में कहिए, कना-क्षा दस-बास राज के लिए इनको मा सामत मादूरों का रखना पड़ता है।

श्री शा, यह जो सालान मजदूर काम करते हैं धना किसानों के यहां, मंत्री जी नहा सुने ब्राप, मालवीय जी जानते हैं कि रिश्वी उत्तर प्रदेश में इनकी जो माहवारी ताबाह है, हैं वे साल भर के लिए...

प्रति माहवार तनख्वाह जो है वह
300 या 400 काए माहवार की है इस
वहा और सुबह का नाश्ता, जिसमें दो
रोटो या कुछ सब्जी उनकी मिलती है।
या है मोटे तौर पर एक माहवार तनख्वाह
जो साल भर माहूरों करते हैं उनकी
और जो दिनक वर्तन पर काम करते हैं
उनकी तनख्वाह 15 या 20 रुपए रोज
को है। यह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
्षि मादूरों की सामािक बनावट, जाति
बनावट या उनकी गुजर-बसर का नक्शा।

मान्यवर, जो लीखों मनदूर वहां पर है या कहीं पर भी हैं, इनको साल भर में मेरे ख्याल में दो तीन महीने के लिए हो काम मिलता है ग्रीर बाकी टाइम यह बेकार रहते हैं। बकार का मतलब यह कि वे किसानी के यहां काम नहीं करते हैं स्रीर एक-दा भेंस रखकर, मवेशी रखंकर, पशुपालन करके अपना जीवनयापन करने की कोशिश करते हैं लेकिन ठाक सं उनके परिवार का भरण-गोयण भी नहीं होता है। भ्रव भ्राप प्रपा करें भ्रीर निगाह डालें कि उनकी रहने की कंडी अन्स क्या है। मान्यवर, कच्चे मकान हैं या झापड़ियों में निवास कर रहे हैं, मोहल्लों में गंदगी है ग्रीर उनके एप्म्लायर, जो धनी किसान है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वे उनको कोई झोंपड़ा या कोई कोंनों किसी मकान में प्रोवाइड करें, उनकी यह कोई जिम्मेदारी नहीं है। ग्रगर मजदूर बीमार हो गया तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है श्रीर भ्रगर कोई एक्सीडेट हो गया-ट्रेक्टर पर, टयूबवेल पर, केशर पर या पावर कोल्हू पर, तो उनकी गरज से साँ दफा हो

उनको कोई मुग्नावजा नहीं देना है ग्रीर उनके इलाज का भी कोई इंतजाम नहीं करना है। यह हालत है उनकी विकास कंडीशन्स की, यह हालत है उनकी लिविंग कंडीशन्स की! उपसभाध्यक्ष जी, यह दशा खेत मजदूरों की उत्तर प्रदेश में है ग्रीर हरियाणा तथा पंजाब में भी ऐसी ही है। पूरे यू.पी., बिहार और राजस्थान में इससे कही ज्यादा खतरनाक हालत है ग्रीर बड़े ग्रफ्सोस की बात है कि कानून बने हैं राज्यों में मगर कानून धूल चाट रहे हैं। उपसभाध्यक्ष जी, में श्रापको यह भी कहना चाहता हू इस माननीय सदन के सामने कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां

मजदूरी का आधिक शोषण हो रहा है,

सामाज्ञिक भोषण हो रहा है, वहां भ्राप

यह भी समझें कि कभी-कभार नहीं बल्कि

ज्यादातर जगहीं पर जो वोट डालने का

ग्रिधिकार है, उससे भी वे वंचित रखे

जाते हैं और में भ्रापसे वहांगा इस सदन

में कि ग्राज यह सरकार बैठी हुई है ग्रीर

उसके जो घटक हैं, वह भी यह कार्रवार करते हैं कि गरीब मजदूरों, हरिजनों श्रीर

खेत मजदूरों की वोट डालने के लिए

बक्से तक भी नहीं जाने देते। यह कार्रवा

पिचमी उत्तर प्रदेश में भी होती है और हिरयाण। में भी।

जब एक सवाल उठा था मजदूरों की यूनियन बनाने की । मैंने पासवान जी से कहा था कि हम दोनों चलें श्रीर यह यूनियन बनाकर देखें, लेकिन यह बड़ा म्श्किल काम है। मजदूरों की युनियन बने लो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है कि गांवों में कई किस्म के लोग हैं-कोई खेती में काम कर रहे हैं, कुछ पशु-पालन कर रहे हैं तो कुछ दस्तकार हैं। अब अगर "गरोबी की युनियन" नाम रखें तो मुश्किल है, कई किस्म के मजदूर ग्रा गए। 'खेत मजदूरों की यूनियन' रखें तो वह श्रकेले रहेंगे। यहां तक कि ग्रामीण मजदूरों की भी अगर आप युनियन बनायेंगे तो तमाम किशान, किसी भी जाति के हों-छोटा हो, बीच का हा या कंची जाति का हो, सब मिलकरएक जट खड़े हो जाते हैं और यूनियन को कुचलने की कोशिश करते हैं। मजदूरों को तरह-तरह के प्रलोभन देते हैं ग्रीर इस तरह से यूनियन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यह वहां की सामाजिक बात में आ गया है कि कोई भी किसान, हो, गरीब भी हो, मगर वह भी यह टालरेट करने को तैयार ्हीं है कि मजदूर लोग अपनी सभा बना लों, इसके लिए वह तैयार नहीं है।

में भ्रापसे यह कहना चाहता हूं कि ग्राजादी के 43 सालों में ग्रगर कोई यह कहना चाहे इस सदन में या बाहर भी कि कुछ काम हुन्ना ही नहीं गरीबों के लिए, खेत मजदूरों के लिए राज्यों में या केन्द्र में तो यह ग्रथमान करना है पालियामेंट का, यह ग्रपमान है राज्य विधान सभाग्रों का ग्रीर यह ग्रंपमान करना है उन तमाम नेताओं का जिन्होंने गराबों को, खेत मजदूरों को ग्रीर देश के गरीबी की ऊपर उठाने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए ग्रीर उनकी जिंदगी को ऊपर उठाने के लिए कानून बनाये और जो बहुत सी योजनायें बनाई, यह उनका तिरस्कार करना ग्रीर ग्रपमान करना है। मान्यवर, यह ठीक है कि 43 सालीं में ग्रीर बहुत कुछ भी हो सकता

था लेकिन यह बात मतभूलिये इंदिरा गांधी जी ने, राजीय गांधी जी ने अपने जमाने में जब प्रधान मली थे, गरीकों के लिए बहुत कानून बनाय हैं संसद में भी, स्टेटस में भी, मगर नं ५:रशाही पयुडल एली मेंटस ने मिलजुलकर यह चेष्टा कैं। है कि इन कानूनों को गांव म इंप्लामेंट न होने पायें या कम से कम इंप्लीमेंट हों। श्रीमान मैं अंत में निवेदन कहंगा, श्राप मझे समझने की कोशिश ५:रें माननीय मंत्री जी, में खुद एक किः। न हुं, गरीब ती नहीं कहंगी लेकिन हां भच्छा खेती करता हू। यादव जो ग्रापको भा बाह रहा ह कि ग्रगर काई कानून श्राप बनाना चाहते है संसद में ता बहुत व्यापक बनाना चाहिए, में इसकी पैरोकारी कर रहा हूं। मगर टाटा, बिस्ला के कारखानों में, अध्यक्ष जा सुने, टाटा बिरला के कारखानों में जा वैतन, प्राविहेट फंड, ग्रेच्यूटं., ६वीं, छुट्टं., बंत्स, म्दान यह जो सुविधाये हैं अगर गांव के मद्दरी को, खेत मञ्दूरों को किसाना से क्राप बिलवाने की चेटी करेंगे ता यह मामला इसमें भी गड़बड़ होगा जैसा वि: ५, इस कमीशन पर भ्रा कल है। रहा है। ५ रह बील रहा हू, मं मंडल कमीशन का विर धं नहीं हूं श्राप जानते हैं। जैसा मैने कही कि जो हासार गांव में है, किसान कं जो ब्राधिक जंदन है, इससे मिली हुई क्या चीज निवस सकता है मजदूरों के -लिये तनख्वाह कं. श्रीर जो दूसरी रियायते हैं, यह को६:श करनी चाहिए।

एक व्यापक का नून बने श्रीर एस क कपर लेबर का श्रला विभाग बने सेट्रल में, राज्यों में अलग विभाग बने श्रीर जा विवाद तनस्वाहा के बारे मेए ए जा सर श्रीर मजदूरों के बीच उठते हैं उनको हल करने के लिए कोई लागल फीरम जिलों में या सूत्रे में कही न कहीं बनने चाहिए ताकि यह विवाद बहुत जल्दी हल हों श्रीर श्रीपस में मार मारी न हो, यह भी रहर है। इस व्यापक कानून में जो मुद्दे में उठाना चाहता ह, तनस्वाह तो पहले भी बहुत से राज्यों में कानून बनाकर किश्वीत की जा चुक है, श्रव शाइस राइड बहुत ही चुकी है श्रव जो कानून बने, संक्षेप में मैं कह रहीं हु, शापकी उसमें न्यूनतम में दूरी कह रहीं हु, शापकी उसमें न्यूनतम महदूरी

[श्री शांति स्यागी]

काम के वंटे-इसमें रातको भा काम करना पड़ता है। किसानों को रात में बिजली मिने । ट्यूबवैल पर रातको जाना पहुँगा। ग्रगर ग्रावर टाईम करता है तो जालिक के लिए च हे जमींदारहो, चाहे मध्यम किसान है बढ़ जहरा है कि आवर टाईम का पेनंट ≱भी म∃दूरों को करना चाहिए। तो न्यूनतम वेतन, काम के घंटे, स्रावर टाईम का पेमेंट, बीमारी में इलाज, एक्सीडेंट में कुछ मुम्रावजा श्रीर साल में कम से कम दो वर्दी च हे खदर का हो दा यूनि-फार्म मजदूरों का मिलनो चाहिए। वड़ा महंगा कपड़ा पड़ता है मजदूरां शोई भी जमत्यार दें सकता है दो वदी ग्रीर वच्चे व महिला श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए और यह जो व्यापक कान्त बनायों इसमें इन मुद्दों के ऊपर लेजिस्लेशन श्रवस्य होना चाहिए। श्रंत में, में ब्रापसे कहुंगा कि यह जो ब्राप गिनती करते हैं कि 8 करोड़ लाग हैं, 10 करोड लाग है बहुत गरीब लोग हैं, खेत मजदूर हैं श्रीर लाग भी हैं, इस माननीय सदन में यह चर्चा हो रही है बहुत ग्रच्छी बात है श्रीर इति श्राप नोट करलें, जब चर्ची यहां हो रही है या तो यह काम भ्राप करिये इनके लिए और जितनी जरुदी करें ग्रच्छा है, वरना इन गरीबों में भी नई चेतना पदा हो रही है और यह कुछ नये सपने अने उज्जवल और सुखद भविष्य के लिए देख रहे हैं सीर भ्रभी बहुत बदत है, ज्यादा नहीं है, वदत है, मगुर भ्राप कुछ कान्न बनायें इनके सुखद भविष्य के लिए ग्रन्यया यह ग्रनना रास्ता खुद बनायेंगे श्रीरं यह रास्ता उथल पुथल का होगा ब्राराम का नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं चोहता हूं कि माननीय बलराम जी का विधेयकं यह सदन स्वीकार करे ग्रीर भ्रगर यह मुमिकिन नहीं है श्रीर वह विदश करें तो कम से कम जो भावनायें उन्होंने अपने विधेयक में और ग्रन्य माननीय सदस्यों ने यहां पर रखी हैं, उनको सरकार ग्रहण करके एक व्यापक कानून ग्रांषि मजदूरों के लिए वताना च हिए। धन्यवाद।

उपसमाध्यक्ष (श्री भास्कर ग्रन्नाजी मासोदकर): जाधव जी, ग्राप पांच मिनट में खत्म कर देंगे। ग्रापको जाना है, क्राप बोल रहे थे।

श्री विठ्ठलराव माधवराव (महाराष्ट्र): हां, में शुरू करके ही समान्त कर्ङ्गा । उनसभाध्यक्ष महादय, हमारे वलराम जी ने एग्राकल्चर वर्कर्स के लिए मिनिमम वेजे जे श्रीर वैल्फेशर बिल रखा है, यह वहुत ग्रच्छा बिल है ग्रीर में इसका समर्थन करता हूँ लेकिन उसके ऊपर मेरे कुछ रिजर्वेशन्स हैं। बलराम जी भी अच्छी तरह से जानते हैं, यह सदन ग्रीर पूरा देश यह जानता है कि इस देश की 70 प्रतिशत जनता ग्रामों में रहता है और वृष्टि पर निर्भर करती है। उसमें से 50 प्रितिशत खेतिहर महदूर हैं जो खेतों में काम करते हैं। जब हम किसानों की तरफ देखते हैं तो किसानों में भी 70-80 प्रतिशत किसान 5 एकड़ से कम जमीन की होहिंडग रखते हैं। ५ब हम जमीन की पर-कैप्टित हं। लिंडग निकालते हैं तो वह 27 पर हैड आती है। एग्रीकल्चर पर यह जो इतना बड़ा प्रैशर है, यह जो 55-60 करोड़ लोग गांवों में रहते हैं और पृषि पर निर्भर हैं, इन सारे लोगों की जीविका का जो नुख्य साधन है वह खेती है श्रीर जब हम उन लागों की आधिक स्थिति की तरफ देखते हैं तो हमें दुःख होता है। हम इस सदन में ऋीर दूसरे सदन में भी शहरों में जो झौंदड़-पट्टा में रहने वाले लाग हैं, रूपम में रहने वाले लेग हैं उनकी समस्यात्रों के बारे में सवाल उटाते हैं मगर दैहात में 70 से 75 प्रतिज्ञत लोग ऐसे घरों में रहते हैं जिनकी परिस्थिति सलम्स से भी ज्यादा खराब है। उनमें हरियन हैं, गिरोजन हैं, माइनोरिटीज के लोग हैं।

तीन बुनिवादी बातें जो मानी गई हैं रोटी, कपड़ा श्रीण मकान वह तो हमारे देश में कम से कम हरेक श्राद्मी को मिलनी चाहिए. यह उसका बेसिक राइट है। श्रभी जो यह राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार श्राई है, जनता दल की सरकार श्राई है उन्होंने तो "राइट टूबर्क" विधेयक लाने का वावदा किया है। वह तो बिल्कुल टीक बात है। यह कांस्ट.टयूणंस में भी है।
माफ कांजिए कांस्टीट्यूशन में यह नहीं है
फिर भी हमारे पास जा रिसांसें हैं।
हमारे पास जो कृल कांम उपलब्ध हैं उससे
कहीं उपादा संख्या में कामगार उपलब्ध हैं। ता पहली वात ना यह है कि कांम कां बंटवारा कैसे ही।

उपसभाध्यक्ष जा. बलराम जी ने अपने बिल के क्लांट 5 में कहा है कि ---

"No employer shall engage any agricultural worker unless he has registered himself with the Authority."

मै जानना चाहता हूं कि ग्राप कीन मा एवारिटो में उनका रिक्ट्रिशन करना चाहते हैं: उसके बारे में मैं कृष्ट स्पष्टीकरण चाना है। उन्होंने लिखा है कि -

"If an unregistered employer engages any person for working on his land he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with both."

क्लाज 9 भें जन्होंने निखा है वि-

"Every employer shall pay a minimum of rupees six hundred per month or rupees twenty per day to a worker engaged by him for work on his land, and this rate of wages shall be subject to change in accordance with the rise in price index."

यह तो उन्होंने बहुत श्रच्छी बात कही है। श्राज श्रगर हम देखें तो 20-25 रुपये रोज भी कम पड़ते हैं। प्रश्न यह उठता है कि यह वेजेज देने वाला कौन है ? यह देने वाली सरकार नहीं है, यह देने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, यह देने वाला है सदन का श्रादमी नहीं है, यह देने वाला है भारत का किसान। श्रगर किसान की हालत श्रच्छी है तो किसान कभी अपने कामगारों को, श्रपने मजदूरों को भूखा नहीं मारना चाहता है। में खुद एक किसान हूं श्रौर मैं उनकी हालत श्रच्छी तरह से जानता हूं। हमारे यहां महाराष्ट्र में 4000-5000 रुपए, से कम

सालामा कोई भी नौकरो पर नहीं श्रा मकता है। जैसे-जैसे इरिगेशन बढ़ता जा रहा है, पंजाब में तो 40 रुपए रोज मजूरो मिलर्ता है मगर जब प्राइस-इंडेक्स भी उतना ही बढ़ता है, जब इन्पृट्स की कौस्ट बढ़ती है तो मेरा द्वापसे निवेदन यह है कि जो देने याला है यह भी किसान ही है। यह उस भूमि का मालिक नहीं है, यह

3-00 Р.м. लंबर है, उसको करने दाला है और वहां पर जो यंत्र हैं उससे खेती

करता है और पूरे देश के लिए, अनाज पैधा करता है । मगर उसकी हालत के बारे में नहीं सीचा जाता है। मैं कहता हूं कि हर मजदूर को महीने में एक हजार रुपया कम से कम मिलना चाहिए, उससे कम पर बसेरा नहीं होता । लेकिन जो किसान है उनकी होलत भी तो एक हजार ६ ५ए, उसको देने की होनी चाहिए। जब चीधरी देवीलाल ने भाव बढाए किसानों के ग्रनाज के, जब भजन लाल जी ने वढाए तब टाइम्स आफ़ इंडिया में कितने बड़े बड़े ऐडिटोरियल लिखे गए । इस देश में किसानो के बारे मे कोई नीति लाते हैं तो पूंजीपति जिनके बड़े बड़े समाचारपत हैं, जो उनकी प्रसिद्ध है, वे इसके दिरोध में लिखकर इसको हराकर रख देते हैं जैसे मंडल कमीशन पर ग्राप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। भ्रगर सरकार मजबूत इरादे से खड़ी है तो एंडल कमीशन को लागु किया जाए, । लेकिन उन्हीं के दल के बीज पटनायक साहब ने विरोध किया है और मैंने सुना है कि चिमन भाई पटेल भी खिलाफ़ जा रहे हैं।

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : हमारे प्रल में कोई भी खिलाफ नहीं जा रहा है ग्रीर मंडल कमीशन की सिफ़ारिशें लागू करने के लिए नोटिफ़िकेशन जारी हो गया है..... (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : श्राज बीजू पटनायक का स्टेटमेंट है कि गंडल कमीशन की सिकारिशों को लागू करने के पक्ष में है...(व्यवधान)

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल (पंजाब) : मालवीय जी, जो परसों वाली स्टेटमेंट था वह क्या गलत था ?...(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उन्होंने कहा है कि वे इसके पक्ष में हैं... (व्यवधान)

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : परसों की बात ठीक थी या ग्राज की बात ठीक है? ...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : इल में दो मत नहीं हैं । कुछ गलतफ़हमियां थीं जैसे कि राज्य सरकारों को डर यह है कि शायद 27 परसेंट जो मंडल कमीशन की सिफ़ारिश को लागू किया गया है, यह केन्द्र सरकार की सेवाम्रों के साथ साथ राज्य सरकारों की सेवा में भी लाग किया जाएगा । यह बिलकुल बेबुनियाद है। यह कैवल केन्द्र सरकार के लिए हैं। राज्य सरकारों को इससे भयभीत होने की श्रावश्यकता नहीं है। यह वहीं लागू होगा जहां पिछडी जातियों को सुविधा मिल रही है ग्रीर मंडल जो कमीशन में है उसकी समान सुची में जो होगा, उसी पर यह लागृ होगा । जैसे राजस्थान है, उड़ीसा है, जहां पिछडी जातियों की लिस्ट नहीं है, उनके लिए यह सुविधा नहीं है । यह सिर्फ़ कामन सूची के लिए है। वह उनके दिमाग में गलतफ़हमी थी, उसको दूर कर दिया गया है । लेकिन जनता दल में उत्पर से नीचे तक कोई विरोध नहीं है।

श्रीमन मेरा प्वाइंट श्राफ़ श्राइंर है।

डां अवरार ग्रहमद खान (राजस्थान)ः
मैं माननीय मंत्री जी को बतानां चाहता
हं कि ज्यादातर मिंत्रसेज राज्य सरकारों की
हैं, केन्द्र सरकार की कितनी होती हैं ?
तो उनको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं ? आपने
जो पहले भाषण में कहां था कि इसे
केन्द्र के ग्रंदर लागू करेंगे, उनके बाद राज्य
सरकारों पर ग्रसर डालेंगे, क्या ग्रापने यह
मानस बना लिया है कि आप राज्य
सरकारों के उत्पर दनाव नहीं डालेंगे, क्या
कार्यान्वयन के लिए उनसे कोई बात नहीं

करेंगे ? यह विरोधाभास ग्राप पैदा कर रहे हैं, यह तो बड़ी श्रजीब स्थिति हो गई है...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): There is no point of order. I hope the Minister will not enter into this debate.

SHRI N. E. BALARAM (Kerala): Sir, what is the meaning of this? Are we discussing the Agricultural Workers Bill, or the Mandal Commission Report? If they are worried about the Mandal Commission Report, let them speak when that comes up. This is very unfair. We are discussing an entirely different thing. If he has got anything to say about Agricultural Workers Bill, let him speak on it.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: The question Mr. Balaram, is that all these minorities which come within the purview of Mandal Commission Report mostly farm labourers—a majority of them are, isn't it? We want social justice for them. ग्राप समझने कोशिश कीजिए। यह सरकार जिसको श्राप सपोर्ट कर रहे हैं, इस सरकार के एक एम०पी०, एक संसद सदस्य ने रेजिंग-नेशन दे दिया है मंडल कमीशन पर ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You address the Chair, not the Members.

SHRI N. E. BALARAM: It is a far-fetched argument, gentlemen.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Don't refer to issues which evoke some debate.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव: जनसभाध्यक्ष महोदय; यह बात नहीं है किसान श्रीर खेतमजदूर का जो नाता है ऐसा नाता है जैसे पानी श्रीर दूध का होता है। जैसे दूध में पानी होता है

क्रौर पानी में दूध होता है वैसे ही खून का रिश्ता इनका है।

श्री राम विलास पासवान : कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रस्ताव में क्या पास किया था ?

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव: इसका विरोध नहीं किया कांग्रेम पार्टी ने ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: 10 साल से रिपोर्ट पड़ी हुई थी। न इन्दिरा गांधी ने श्रीर न राजीव गांधी ने इसकी लागू किया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Honourable Members will keep in mind that it is a Private Member's Bill.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : इन्होंने मेरी पार्टी के बारे में कहा है इसलिए मुझे जदीब देना है । कांग्रेस पार्टी की नीति रही है गरीबों को उनका हक दिलाने की । इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि बैकवर्ड कलास में गरीब लोग हैं बैस ही फ़ार्वर्ड क्लास में भी काफ़ी गरीब लोग हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please go to the Bill.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव :
हिन्दुस्तान के इतिहास में, इस भारत के
इतिहास में महान नेता ग्रीर पूर्व प्रधान
मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी एक ऐसा
व्यक्तित्व हुई हैं जिन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम
के जरिये इस देश के गरीबों को सम्मान
देने की कोशिश की । जब-जब इन्दिरा जी
ने कदम उठाये—चाहे वह बैंक के
राष्ट्रीयकरण का सवाल हो या ग्रीर कोई
सवाल हो तो उस वक्त भी कुछ लोगों
ने इन्दिरा जी का विरोध किया था ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You have finished the Bill?

श्री क्ठिंद्र स्वा माधवराव जाधव : में शुरु कर रहा हूं। हमारे जो बलराम जी ने कहा :

"The Central Government shall by due appropriation constitute a Fund to be called to the Agricultural Workers Welfare Fund for the welfare of agricultural workers."

मैं तो उसके भी आगे, जाकर सुझाव देना चाहना हूं। जैसा कि किसान के लिए नाबाड बना हुआ है, बैंक बने हुए हैं उसी धरती पर हमारे देश में इंडियन एप्रीकल्चर नेबरसे बैंक निर्मित किये जाने चाहिए। सौ करोड़, हजार करोड़ की पूजी से बनाया जाए और जो हमारे छिष पर आधारित खेत मजदूर हैं उनको पूरी तरह से फ़ाइनान्स किया जाए मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता है।

इसके साथ उन्होंने कहा है क्लाज 9 मे

"There shall be formulated a Scheme by the appropriate Government for providing pension-cum-Provident Fund facility to the workers on their attaining the age of 55 years."

यह मैं पूछना चाहता हूं कि यह पेंशन पाने वाला कौन है ? उनको पेंशन देने वाला कौन होगां ? राज्य सरकार होगी या केन्द्रीय सरकार होगी ? इसमें दो राय नहीं कि जो फिजिकल वर्क करते साल में बढ़े हैं वे तो 45 जाते हैं और जो फिजिंकल नहां करते हैं वे 65-70 साल नक ग्रन्छी तरह जी सकते हैं। खेत में काम करने वाले मजदर रात दिन काम करते हैं, खन पसीना एक करके काम करते हैं उनको पेंशन मिलना जरूरी है यह किसान को दिया जाए। किसान को मदद करने के लिए हम क्या कर रहे हैं ? किसान के लिए कोई ग्रिधिक धन राशि देने जा रहे हैं इसका स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कहा है क्लाज-12 में

"No employee shall reject a worker on the ground that he is no capable of performing a particula job."

(Minimum Wages) and Welfare Bill 1986

[श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव]
इसके लिए नाम्सं हैं। तो इसके बारे में
आपका क्या सुझाव वह भी मैं जानना
चाहता हूं। इस बारे में भी दो राय नहीं
हैं कि लीगल प्रोटेंक्शन एपीक चिर वर्कसं
को भी चाहिए। किसानों को प्रोटेक्शन
चाहिए, खेत मजदर को लीगल प्रोटेक्शन
चाहिए। इसके बाद एपीक उचरल वर्कसं
के लिए वैल्फेयर बैंक का निर्माण करना
चाहिए। एक हजार करोड़ की पूंजी उसमें
लगानी चाहिए। उसके बाद,

any agricultural worker or landless worker must be allowed to keep one milch animal

जो खेत में काम करने वाले खेत मजदर हैं उनको दध देने व ली गाय या भैंस या मिरच एनीमल रखने की अनमति देनी चाहिए और इसका पूरा खर्चा जो खेत आनर है, मालिक है उसका उठानाच हिए। उसके बाद मैं एक भुझाव देना चाहता है

All agricultural workers should have one Life Insurance Scheme

उनके लिए एक जीवन बीमा की स्कीम बनानी चाहिए। उसके बद किसानों श्रीर खेत मजदरों में संघर्ष नहां खड़ा करना चाहिए । ग्राज मंडल वर्मालन लाने के बाद इस देश में ऐसा माहौल पंदा हो रहा है कि कहां जाति-जाति में युद्ध होने आ रहा है। कास्ट वार होने जा रहा है। मैं इस सरकार से ग्रनुरोध, करना च हता हुं कि एग्रीकल्चरल वर्कर को न्याय दिया ज्य, उनको बराबर का दर्जादिया जाय। वे जो खून पसीना बहाते हैं उसका सम्मान किया जाय । किसानों ग्रौर खेत मजदरों में संघर्ष नहां पैदा किया ज्ञय । कृषि हमारे देश की मूलभूत नीति है। खेत मजदर और किसान हमारे देश की प्रमुख शांइत रही है। यह बहुत पुराने जमाने से चला ग्रारहा है। भात कि व्यवस्था कृषि की ग्रर्थ व्यवस्था है। जब दुनियां के दूसरे देशों की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि किसी देश की ग्रर्थ व्यवस्था इंडस्ट्री पर निर्भर है ग्रौर किसी देश की अर्थ व्यवस्था देख और कासर्स पर निर्भर है। लेकिन हमारे देश की मर्थ व्यवस्था कृषि पर माधारित है।

हमारे देश में 70 प्रतिशन लोग कृषि पर निर्मर करते हैं। हस सरकार ने कहा है कि हम एक न कृषि, नीति, कंसोलिडेटड एप्री अध्वरल पालिसी ल एंगे। हम चहते हैं कि ग्राप जल्दी से जल्दी यह लाये, इसकी आज बहुत जरुरत है। हम मांग करते हैं कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जय । जब तक हमारे खेत मजदरों को न्याय जहां मिलेगा, अब उक्त किसानों को न्याय नहां सिलेगा तब तक हमःरादेश उन्नति नहां कर सकता है। किस नों के पास पैसा नहां होता है। दाता केपास ही पैसानहीं होगा जो पाता कहां से पैसा परणा। दाता श्रीर पाता की बात प्रधान मंत्री ने भी कही है। दाता तोबर्त अने हैं, टाटा ग्रौर बिरला करोड़ों **रु**पया कमाते हैं। यहां पर एक सवाल आया कि सम्प्राट होटल में तीन ग्रफसरों पर 36 हजर रुपये खर्च हुए, । हमारे देश की परकेपिटा ,नक्षम दो हजार रुपये से ज्यदा नहां है। इसलिये हमें गम्भीरता से इस परविचार करना चाहिए । हमारे समाज में बहुत से लेप्सेज हैं; दुर वरने की जरुरत हैं। हमें किसानी ग्रीर खेत सजदरों को न्याय देना होगा। बुनियादी बात यह है कि हमें किसानों के बारे में सोचना च हिए, क्योंकि इसको राम विलास पासवान ग्रौर विठ्ठलराव ज धव ग्रन्य ग्रकेले नहीं कर सकते हैं। हमें किसानों को सशक्त करना चाहिए। जब तर किसान और अजदर सशक्त नही होंगे तब तक देश उन्निति नहीं कर सकता है। किसान ग्रौर खेत मजदर को साथ साथ चलना चाहिए। हमारे देश में काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसान र्खेत मजदूरों, करखानों में काम करने वाले अजदर जो काम करते हैं उसको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए।

ग्राप जानते हैं कि मंडल कमोशन की
रिपोर्ट पर हमारे महार ष्ट्र, ग्रान्ध्र प्रदेश और
कर्नाटक में जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं,
उन्होंने उसका स्व गत किया है। जो भी
झगड़े हो रहे हैं वे इधर हो रहे हैं जहां
इनकी सरकारें हैं। श्री चिमनभाई मेहता
को पता है कि हमारे महाराष्ट्र में बहुत
पहले से, पिछले 15 सालों से, रोजगार

योजना चल रही है। हमारे मख्य मंत्री श्री वंसः द'दा पटिल ग्रौर श्री बसं रव न यक ने कहा था कि सह राष्ट्र में एक भी श्रादमी ऐसा नहीं होगा जिसको रोजगार नहीं मिलेगा । बांग्रेस का उद्देश्य समाज से ब्राधिक विषमका नष्ट करना है। लेकिन यह सरकार समाज में विघटन पैदा कर रही है। महराष्ट्र भ्राज भी उस रोजगर की योजन को चल रहा है। पंडित जबहरलल नेहरू का और इंदिरा जी का मपना था कि इस देश की एकता वनी रही। लेविन आज की यह सरकार इस एएक को नष्ट कर रही है, भंगकर रही है। तये तये तरीकों से झगडे पैदा कर रही है। क्रुपा करके क्राप किस नों भीर खेत मजदरों में झगडा मन पैदा कीजिये। इस देश की 70 प्रशिष्ट जन्म खेती पर निर्भर करती है। ऐसी नीति ल इये जिससे सब में भाई चरा पैदा हो और समाज में जो डेफिसिएन्सीज हैं उनको दुर की जिये । ऋष किस नों और खे भजदरों को न्याय दिलाने का की जिये ।

SHRI PRAVAT KUMAR SAMANTARAY (Orissa): While appreciating the Bill moved by my esteemed colleague, Mr. N. E. Balaram, I would like to point out that he has given a thought to the question of minimum wages and welfare of the agricultural workers.

These agricultural labourers are working throughout the country and I must say that the nation is proud of them. These people have got nothing out of our political gambling and quarrelling here and there. They don't belong to any political party, they do not belong to any religion and they do not belong to any caste. They are above everything. The only thing is that they toil and work but get nothing. After 42 years of independence, a Bill has been moved by a member, who really has given thought to it to ensure that something is done for them. My friend Jadhav said that Kisans are paying from their pockets for these labourers. That is not a fact. There are three categories of agriculturists in

this country—the marginal farmers, medium farmers and large farmers. Unless the status of industry is given to the agricultural sector, these facilities and privileges intended through this Bill cannot be extended to these poor workers.

We have given these benefits and privileges in the organised sector in the small-scale industries, mediumscale industries and large-scale industries. If we think of the marginal farmers, the argument given by Mr. Jadhav is justified because the marginal farmer hires the services of a this farming. in farmer fellow But in the case of medium and large-scale farmers, those actually engage the workers and exploit their labour without giving them the minimum requirement for their livelihood, so Mr. Yadavas argument They do not does not apply at all. have security-socially and economi-They do not get medical faci-You will be surprised that lities. this Bill is being objected to only by those who engage labourers for their field work and who never do work by themmselves.

In Clause 5 of this Bill, it has been rightly pointed out that the employers must get themselves registered. must say this registration should be done ir the case of the medium and As we are large-scale farmers. maintaining Savings Banks account, they should have some such thing so that land records are available to the sub-registrars to find out who is medium-scale farmers and who is a On this basis the large-scale farmer. Government can impose registration of this class of farmers in order to employers themselves as register under the category of industry to extend the facility that is intended in this Bill.

I once again endorse my full support to this Bill, but before I conclude I would say that I also hope that the Government of India will come forward with a Bill to give more benefits to the agricultural workers throughout the country.

and Welfare Bill, 1986

252

श्री ईश दस यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर चर्चा हो रही है मजदूरों के समस्याग्री के बारे में यह ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। मैरा निवेदन यह है कि जनता दल की सरकार, नेशनल फांट की सरकार यह प्रयास कर रही है कि मजदूरों की आधिक स्थिति सुधरे और उनकी समस्याएं हल हो जाए। मेरा अनुरोध यह है कि इसके बाद ग्रदास दासग्प्त जी का बिल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रीर राम जन्म भिम-बाबरी मस्जिद से संबंधित है। इसलिए मैं यह चाहता था कि इस मे लोग थोड़ा थोड़ा समय लें ताकि गुरुदास दासगप्त जी का बिल विवार के लिए भ्रात ही भ्रा जाए । यद्यपि मेरी उनके संशोधन से सहमति नहीं है (व्यवधान)

(SHRI VICE-CHAIRMAN THE BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I cannot ask them.

डा. ग्रबरार ग्रहमद खान: सरकार इतनी साग है कि कृषि से संबंधित विषय पर चचा हो रही है और न कृषिमंत्री विराज्मान है, न प्रधानमंत्रो विराजमान है। कृषि से मंबंधित मामला है। (व्यवधान) हर चीज का स्पेशलाइजेशन होता है. इसलिए माननीय मंत्री जी को यहां होना अहिये । उन्होंने कहा कि सरकार बहुत सजग है । मैं उनकी सजगता का प्रमाण बता रहा हूं कि कृषि से संबंधित मामला है लेकिन प्धानमंती यहां मोजद नहीं है। मजदूरों से संबंधित मामला है लेकिन श्रम मंत्री उट कर के चले गये । क्या इस को ग्राप सही बता रहे हैं (ज्यवधान)

श्री ईश दत्त यादव: लोकसभा में किसी कमेटी का वीट डालना है वह बोट देने गये हैं। मेहता जो हैं।

डा. ग्रंबरार ग्रहमद खान : सदन का मंतियों द्वारा बराबर प्रथमान किया जाता है। गृह मंत्री मणनी मोहम्मद सईद तो इधर ग्रांना हो भूल गये। हमेशा राज्य मंत्री को यहाँ भेज देते हैं।

उन्होंन इस सदन को हाउत्स श्चाप र बजाय लोग्रर हाऊस बना दिया है। (अयवधान) ब्रुषि एवं श्रम मंत्री को भ्राना चाहिये।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RES-OURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): Mr. Vice-Chairman, Mr. Ram Vilas Paswan has gone to the Lok Sabha for some work. He will be coming here very soon and in the meantime...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Do you want to respond to this?

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: No.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Then, why are you...(Interruptions) ... If you want to respond, we will have to go again. You need not respon 1.

SHRI SHABBIR AHMAD SALAR-IA (Jammu and Kashmir): The question is Mr. Paswan has gone without seeking the permission of the Chair. That is the question.

SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am supporting the Agricultural Workers (Minimum Wages and Welfare) Bill moved by my hon. friend, Mr. N. E. Balaram. At this stage I will not move my amendments but speak only on few aspects of the Bill. It is a good thing that this Bill is brought forward by private Member for the welfare of agricultural workers. It is also true that at present there is no legal protection for agricultural workers in our country in regard to their working conditions, wage structure, pension and other facilities. Therefore, I welcome this Bill. But there are some difficulties with regard to implementation and that is why I have moved some amendments and I hope they will be adopted by hon. Member, Shri Balaramji.

I want to draw your kind attention to clause 2, subclause (c) wherein the definition of the "employer" is I think the definition would creat much difficulty because it includes all the farmers, whether he is a big farmer or a small farmer. We know that there are some small farmers like $kisa_n$ in rural areas. They are very poor and uneducated and they do not know the ABC of the existing laws. They are all farmers. They have no irrigated land. in monsoon season, they work in their fields and in other seasons they work on unirrigated land. So far as definition is concerned, it has to be modified. If they are covered under would this definition, it small farmers. harmful to be that af-So my suggestion is the word "person" this "who holds 20 acres or more irrigated land" may be added. This It has save the smaller farmers. been mentioned in this Bill in clause 13 that there shall be an "advisory board" but in this Bill, you have not mentioned anywhere the definition of the advisory board, working of board, powers of the board. I think when we are going to provide an advisory board, it should not be left with the Government. Hence my suggestion is that there shall be advisory board of 11 persons including the Chairman, two representatives from the employers, three from the agricultural workers, two experts. and four persons may be nominated from the agricultural department.

I also want to draw your kind attention to clause 4 sub-clause (b) and (c) where it has been mentioned that the register would be 'district-wise. It will creat further difficulty for the uneducated farmers because the district headquarters is far away from the rural area. So the register should be panehayat-wise. It would be helpful both to emmployer and worker.

There are small farmers who are poor Harijans, who are uneducated. In many States, the Government has given land to Harijans on priority and suppose, they have not registered their names, then the employer and the worker both will be sufferers. Hence there should be second thought on this provision. So far as clause 7 is concerned, how his service will be counted, it also requires deep thinking.

Clause 9 provides for welfare board. It is a good think for the agricultural worker. In every industry, there is welfare board for their workers.

The pension scheme is the most agricultural scheme for the worker as he is the only person who is not safe in our society. Though he works whole of his life, yet he does not get anything from the various employers. The worker is the most unsafe person in our society in his old age. He should be guaranteed old age pension. I wish present Government would think over it to do at least something for them.

SHRI J. S. RAJU (Tamil Nadu): *Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very happy to take part in the discussion on a Bill, the subject of which has been talked about for years.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Just a minute. The interpretation is being arranged.

SHRI TINDIVANAM G VENKAT-RAMAN (Tamil Nadu): He has already started interpreting.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Is it? Has he started? Then please go ahead.

SHRI J. S. RAJU: *The Agricultural workers (Minimum Wages and Welfare) Bill, that has been brought for discussion by Shri Balaram is a worthy Bill and I congratulate him and also thank him for the concern he has shown for the agricultural

^{*}English Translation of the Original speech delivered in Tamil.

[Shri J. S. Raju]

Introduced in the workers. year 1986, the Bill has come up for discussion only now, in 1990. I am happy this Bill has, at last, seen the light of the day. Right from the year 1960, say for at least two three generations there has been nation-wide demand for fixing up the minimum wage of agricultural workers. But I am sorry to say that nothing substantial came out so far. However, in the year 1980, the then union government announced in Parliament that it would bring a legislation to protect rights of agricultural workers. But the government, as usual, did not fulfil its promise. Even later there were demands from various organisations and sections to which the centre turned a deaf year.

Sir, on 8th and 9th March this year, the Hon'ble Prime Minister and the Hon'ble Labour and Welfare Minister have said, while participating in a Seminar, that a comprehensive legislation would be brought for protecting the rights of agricultural workers. I hope their promise will take shape and prove to be a turning point, a mile stone in this direction. According to planning Commission report, the agricultural workers are estimated to be 7 crores and 70 lakhs; roughly about 8 crores. These people are below the poverty line. They are unducated living in unhygienic condition without enough food and proper shelter. Almost all the them belong to SC/ST and backward Communi-For example, if an agricultural worker needs Rs. 600 a month to live with the minimum necessities of life, all that he gets per month is meagre 180 to 360 rupees. Even this income is hot regular. They can't all through the year. workers get work only for about 120 to 140 days a year. If monsoon fails. they won't get even this amount of work.

There are states where the wage is very low-beyond imagination. I don't want to refer the names of these

states for some Hon'ble Member could object to it. I am told, in a certain state, they daily wage is between Rs. 2 to 5. They are poor, they don't have education, hence they are unorganised. They don't have an organisation to fight for their rights and compel the government to listen to their voice of reason though they have an overwhelming strength of 8 crores. Ironically, it is these workers constitute the parent-body of national development.

Sir, every year, we proudly nounce in State Legislatures and Parliament that the agricultural production has gone up than that of previous year. But do we ever recognise and reward the invisible holy hands of the workers who toil in the fields of feed the whole nation? extend privileges such as reservation in educational institutions and employ. ment opportunities in Government service and public sector undertakings for various categories of people. This is a very welcome thing and I am rappy about it. At the same time let us do some introspection and ask ourselves as to what we have done the uncared for agricultural workers? We have to admit that they have been neglected all these years. It is time we swung into action to alleviate their hardship. their living conditions, our senses would be crippled. They live in hovels, in hutments-in indescribabsqualid conditions. Crushed by exploitation and overworking with the added agony of under-nourishment. they wear an emaciated look.

They have no resources, no capital to bank on but for their unstinting Therefore, fixing up physical labour. a minimum wage for them could be the least thing we should do. in this Bill that seeks is a clause to provide Rs. 20 as the minimum. Since this Bill wage per day. introduced in 1986, the amount must have been fixed in accordence with the price index then. Now we are in 1990 and the prices of commodities

are escalating day by day. So, keepview the price-rise, daily wage should be fixed at Rs. 30 been made at least. Mention has about Insurance and Prodivent Fund scheme for these workers. These are very valuable suggestions and indeed quite necessary for their welfare and I am sure the government will take note of this. Sir, I feel it won't be out of place to mention here a few schemes launched in Tamil Elderly citizens are given Rs. 60 per month as old age pension. If an agricultural worker dies of snake-bits, his family gets Rs. 1000 as grant. the head of a poor family dies, the family gets Rs. 1000 immediately. There are many such schemes Tamil Nadu. The old age pension is given in Kerala also. These scaemes have been launched after a careful analysis of various factors. the centre and also other State governments can launch these schemes to help the weaker sections. different rules in different states with regard to the minimum wage of the agricultural workers. It differs from district to district in the same State. Even in adjoining districts like Tanjore and South Arcot, there is diffe-But what plagues the mind rence. is that the workers are not paid the minimum wages in most parts of the However in Tamil Nadu, country. in case of such exploitation, the Revenue Officials intervene and get the grievances redressed. This workers' should be done all over the Country. Mere enactment of law won't There should be powerful machinery to implement it. As in the case of other workers, a register should be maintained for enlisting the agricul-There is a clause in tural workers. this Bill regarding the maintenance of attendence register of workers. the question as to who will maintain such register remains unanswered. This can be decided by the government Because, with whom the workers should register their names is very important. If it is with the employers, say the landlords, then the bona fides will be questionable. There

is also a clause to take action against the landlords who violate the law, if passed. I don't know how fat these are practicable.

As I have observed the pathetic plight of these people from close quarters, I know the degree of their sufferings. Even the fixing of minimum wage is not going to help them much because, they do not get work throughout the year. They have to be given some sort of compensation for the period when there is no work. If the Employment Guarantee Scheme is launched. I hope, these unfortunate people will be benefited. I say this because the workers in the urban areas get work almost all through the The workers in the village. on the other hand, get work only during planting and harvest times. No work means no food to them. This is, indeed, too cruel a situation in a democracy. Not only this, these people do not have money for conducting marriage, to have a leak-proof roof over their heads and to celebgreat festivals even in small rate scale. They borrow money on such occasions and become indebated to landlords who exploit them for the rest of life. So, we have to look at their problems from hunanitarian ang-These are the people who have become prey to the greed landlords. In many parts of the country horror is unleashed on them. Their huts are set on fire. Thair women are raped brutally Their children are forced to work for the landlord Therefore I say, it is incumbent on the government to take necessary steps to protect them. The Hon'ble Labour and Welfare Minister Ram Vilas Paswan is here. He is a Committed Minister working tirelessly for the upliftment of the I have no doubt in my sections. mind that he will strive hard to bring in a legislation for the Welfare of the workers engaged in farming.

Enactment of a comprehensive law by the Centre alone can save these workers. [Shri J. S. Raju]

I want to say a word about Many States enacted land ceiling Act. But only little land could be acquired for the landlords made good their escape through legal loopholes. Still the centre can enact a law with more stringent clauses and thus acquire more land. About 2 crores of acres of such lands with the landlords. This can be taken from them and given to the landless.

Before I conclude, I wish to say one thing. I accept the point raised by some congress friends. The condition of small and marginal farmers is no better. They spend lot of money on their little land for sowing, fertilizer and so on. But it is a paralysing pity that they don't get adequate price for their products. On the contrary, in case of other industrial products, the producers fix the price of their commodities. But the pricing of agricultural products is in hands of middlemen and not the farmers. Such is the structure of economy. This situation must change. We must understand that the price of agricultural products has a direct bearing on the wage of the workers. To put it differently, a good price for the produce would mean a good wage, enhanced wage for the workers.

The very purpose of this Bill is to draw the attention of the Government. If the Bill can be accepted as it is, it is well and good. Or else the Government can bring a modified. more comprehensive Bill. The National Front Government has been bringing many Bills that have been appreciated by one and all. So, I hope, keeping in mind the pathetic plight of agricultural workers, the Government will come to the House with a Bill on this subject soon, I support the Bill.

डा० ग्रवरार ग्रहमद खान : उपसभा-ध्यक्ष महोदय, श्री एन०ई० बलराम जी का यह जो बिल है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। वास्तव में यह उन गरीबों से सबधित बिल है, जिनके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं ग्रौर जिन्हें वास्तव में कुछ मिलने का हक है।

क्रभी हाल ही में महल ग्रायोग की रिपोर्ट के मताबिक एक निर्धारित 27 प्रतिशत ग्रारक्षण की घोषणा की गयी है। तो मैं यह मानकश चलता हुं कि वास्तव में ग्रगर इस ग्रारक्षण का कोई तबका हकदार है तो वे ये कृषि मजदर हैं जिनके बच्चे बद्धत कम शिक्षा पा पाते हैं, जिनके बच्चे बहत कम भागे भा पाते हैं वास्तव में यदि देखा जाय तो यह ग्रारक्षण उन लोगों के लिए है जो कृषि मजदूर हैं ग्रौर जिनका जीवन सिर्फ मज्दरी करने में बीत गया है। जो केवल 14, और 20 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं और जिन्हें कि साल के 365 दिनों में से केवल 120 दिन, 140 या 50 दिन ही काम मिल पाता है श्रीर बाकी दिन उन्हें ग्रपने घर में बैठकर गुजारने पड़ते हैं। अगर उनके बच्चों के लिए सरकार कोई ग्रारक्षण की व्यवस्था करती है ग्रौर हमारी पार्टी का भी यही कहना है ग्रीर ग्राज सुबह भी ग्रहलुवालिया जी ने पढकर सुनाया था कि ग्रारक्षण निश्चित रूप से होना चाहिए, तेकिन उस में उन लोगों को जो ग्राधिक रूप से पिछड़े हए हैं, निश्चित रूप से कंसीडर किया जाना चाहिए क्योंकि जो भी हम इस प्रकार की योजना बनाते हैं, ऊपर-के-ऊपर कुछ ही लोग होते हैं जो उस लाभ को ले जाते हैं। वास्तव में देखा जाय तो वे उस लाभ के हकदार भी नहीं होते हैं। तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहत कुछ करने की म्रावश्यकता है स्रीर मैं बधाई दूंगा बलराम जी को, कि वे यह बिल लाए ग्रीर इस बिल का मैं समर्थन करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रभी थोड़ी देर पहले मंडल-ग्रायोग के बारे में, जो इन गरीब मजदूरों के बच्चों को ग्रारक्षण देने के लिए हैं, उस पर चर्चा चल पड़ी थी ग्रीर यह बात ग्राई थी, केन्द्रीय मंत्री जी ने कहा कि हमने यह केन्द्र के लिए लागू किया है, बीजू पटनायक जी के वक्तव्य के सबंध में ग्रपना स्पष्टीकरण दे रहे थे कि कुछ जगह गलतफहमी हो गई थी।...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): That point is over now. You come to the subject.

डा॰ ग्रवरार ग्रहमद खानः महोद मैं मजदुरों के बारे में ही बोल रहा हूं कि मजदूरों को उसको फायदा पहूंचे, किसी पोलिटिकल ब्यू से नहीं बोल रहा।

श्री **ईश दस यादव** : मंडल-क्रायोग पर स्राप बोल रहे थे।

डा० अवरार अहमद खानः इस पर बोलने के लिए प्रतिबंध तो नहीं लगा सकते।मैं कह रहा था कि अगर मजदूर को फायदा पहुंचाने के लिए यह नहीं है, कृषि-मजद्रों के बच्चों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है तो मैं नहीं समझ पाता कि इसका कोई ग्रीचित्य रह जाता है या हसका कोई मतलब रह जाता है। ग्राप सुनने का जरा साहस रखिए, हिम्मत रखिए । माननीय मंत्री जी बैठे हैं, इस बात को वे भी महसूस करते हैं कि अगर इस मंडल आयोग के आरक्षण का फायदा किसी को पहुंचना चाहिए, तो वे किसान है, मजटर है, खेत में काम करने वाले किसान हैं, जिनके बच्चे गांव की पाठणाला के भ्रंदर पढ़कर या पेड़ के नीचे पढ़कर भ्रोगे भ्राते हैं, उनको इस धारक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में मडल-ग्रायोग के बारे में

बात करना उचित है, सार्थक है ग्रीर में कह रहा था उसी सदर्भ में, कि एसा कहा गया कि किसी को गलतफहमी हो गई थी कि राज्य-सरकारों में इसको लागू किया जा रहा है। ग्रब यह इस प्रकार का वातावरण क्यों बना ? किसी मख्यमंत्री ने कोई वक्तव्य दिया, मैं उनका नाम यहां कोट नहीं करना चाहता, लेकिन ग्रापके माध्यम से मैं मानतीय मंत्री जी से गरीब, कृषि-मजद्रों को लाभ पहुंचाने के लिए यह कहना च हंगा कि उन्होंने जब इसको लागू किया था तब यहां कहा था कि जो भी हमारी राज्य-सरकारें हैं, उनसे कहेंगे कि वहां भी मडल-ग्रायोग को लागू करें. जिससे इन कृषि-मजदूरों ग्रौर उनके बच्चों को लाभ मिल सके। श्राज जब उन्होंने यह बात कही तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या उनका विचार उनकी राज्य-सरकारों या दूसरी राज्य-सरकारों के कहने से बदल गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राप भलीभांति जानते हैं, ग्राप इस समाज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि केन्द्र सरकार में कितने प्रतिशत नौकरियां हैं ? ग्रगर ज्यादातर नौकरियां हैं तो राज्य-सरकार की हैं ग्रीर ग्रगर राज्य सरकार की नौकरियों में इनको लाभ नहीं पहुंचाते हैं तो यह मात्र एक खोखला बनकर रह जाएगा । ग्राज जब उन्होंने कहा कि हम यह गाज्य-सरकारों के लिए इस तग्ह की बात नहीं कह रहे हैं, राज्य सरकारों में इस तरह का लागू नहीं किया जा रहा है तो मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि मैं बड़ा प्रभावित था इनके पहले दिन के वक्तव्य से, जो यहां प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जहां हमारी सरकार है, उनसे कहेंगे कि इसको लागू करें ग्रीर दूसरी सरकारों से भी मनवाने का प्रयास करेंगे। ग्राज इस प्रकार की विरोधाभास वाली बात क्यों है ? क्या यह जो माहील बना उससे विचारों में परिवर्तन ग्राया या सांसद ने इस्तीफा दिया उससे विचारों में परिवर्तन श्राया या किसी मुख्य मंत्री

डा० ग्रबरार ग्रहमद खान

ने वक्तव्य दिया, उससे विचारों परिवर्तन ग्राया ? मैं नहीं समझ पाता कि यह क्या है ? अगर वास्तव में हम ऋषि-मजदर के बच्चों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, गांव के गरीब को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, एक धानी में रहने वाले को पहुंचाना चाहते हैं, एक गांव में गहने वाले को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हमें राज्य सरकारों से अहना पड़ेगा कि वे इस प्रारक्षण को सानें ग्रीर इसमें ग्राधिक मापदंड निधारित करें।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर ग्रन्नाजी मासोदकर) : अबरार अहमद जी, श्रारक्षण की बाहन करो।

डा० भ्रवरार भ्रहमद खान : महोदय, इससे उस कृषि-मजदूर, उस खेतिहरकिसान के बच्चे को लाभ दिया जा सकता है, **उसको** कृषि मजदर से एक दफ्तर में बाब् की हैसियत से लाना है एक अधिकारी की हैसियत से लॉना है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर **ग्रन्नाज**ी मासोदकर) : मिनिस्टर साहब ने पोजीशन क्लीयर कर दी है। स्नाप उसमें मत आइए, जो बलराम जी का विधेयः है, उस पर अपनी बात कहिए।

डा० अं रार अहमः खान : उसमें थे नहीं जा रहा हूं। मैं तो मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह कह रहा हूं कि उस गरीब किसान को, उस गरीब मजदूर को, उनके बच्चों को उस मजदूरी से उठाकर ऊपर लाना है। महोदय, जो एक बार बंधुन्ना मजदर बन जाता है, तो उसकी पीढियां बंध्या मजदूर हो जाती हैं । सात पीढियां उस जागीरदार के यहां, उस ठाकुर के यहां काम करती चली जाती हैं, जिसके किसी बुजुर्ग ने एक बार उसके यहां काम करना प्रारंभ किया हो । अगर हमें उन्हें उससे कराना है तो गरीब कृषि-मजदूर के बच्चे को किसी भी तरह से ऊँचा उठाना होगा ग्रीर इसके लिए यह एक प्रयास ग्रापने किया, मंडल-ग्रायोग की रिपोर्ट के ग्राधार पर ग्रारक्षण किया । इसी

and Welfare Bill 1986 संदर्भ में यह कहना चाह रहा था कि अगर इसको माल केन्द्र तक ही रखेंगे, जैसा उन्होंने आज कहा, तो उससे किसी गरीब को लाभ पहुंचने वाला नहीं है। इसे श्रापको राज्यों में पहुंचाना पहुंग, राज्य-सरकत्रों को अ।पको कहनः पड़ेगा। ब्रगर इसी तरह अधने ब्रधने विचार इतनी जल्दी बदले तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, उसका मकसद बिल्कुल पूरा नहीं होगा । जिस किसान को, कृषि मजदूर को दिन भर के 20 स्पए मिलते हैं या 15 स्पए मिलते हैं या 24 एपए मिलते हैं, उसको ग्रापको देखना होगा । इसके लिए अधिक मापदंड ग्रापको निश्चिद रूप से रखना च हिए कि जो इस प्रकार के मजदर हैं, जिनकी इतनी इन्कम है, वह सम्मिलित होंगे। माननीय मंत्री जी, आज सुबह मैं एक बात कहना चहु रहा था, लेकिन नहीं वह सका, जो मंडल-ग्रायोग के संबंध में ही मजदूरों से संबंधित थी । इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं।...(व्यवधान)... मैं मंडल अमीशन की बास इतनी ही व्हकर आगे बढ़ता हूं...(व्यवधान)... कि मंत्री जी के ग्रंदर गरीब लोगों को इस में लाभ मिले, गरीब किसान का बच्चा जो पीढ़ो-दर-पीढ़ी गूलामी खरता आ रहा है, उसको इस अध्यक्षण का लाभ मिले इस प्रकार की योजना बनाए, इस प्रकार कार्यवाही करें ग्रीर राज्यों के ग्रंदरविशेष रूप में इसको लागु करवाइए स्रोर इतनी जल्दी विचलित न हों।

(Minimum Wages)

महोदय, जो बात विशेष रूप से मैं इहने जा रहा था कि ग्राज दी के बाद वांग्रेस ने ग्रौर उसकी सरकार ने हमेशा से यह प्रयास किया है कि जो खेताविहीन मजदूर है, जो वाराव में खेती करता है लेकिन भूमि का मालिक नहीं है, उस जमीन का हरदार नहां है, उसको जमीन मिले ग्रौर उसके लिए समय-समय पर सीहिंग की पाबंदियां लगाई गई । 1951-52 में पहली बार सीलिंग लगाई गई। 1954 में दोबारा लगाई गई । 1957 में फिर लगी, 1964 में लगी, 1971 में लगी र्ग्रार 1974 में लगी। लेकिन यह दुर्भाग्य की बाद है कि कांग्रेस सरकार ने सीलिंग लगाकर जब गरीबों को जमीन बांटनी चाही तो कुछ राजा-रजवाड़े, कुछ आगीरदार उसके बीच में आ गए। रिकार्ड **प्रन्दर** तो यह जमीन उनको मिल गई लेकिन वास्तव में उन्होंने शक्ति के बल पर उस किसान को उसका मालिक बनने दिया । कांग्रेस की जो भावना थी कि उस कृषि मजदूर को किसान बनाएं, जमीन का मालिक बनाएं, वास्तव में जो कृषि करता है उसको हक दिलाएं, उस भावना के श्रंदर उन लोगों के कारण दिक्कत ग्राई। कांग्रेस में तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने राजा रहींसों मे लडने की जो बात की है, वह स्रापको मालूम ही है। उन्होंने उनकी अमीनों को सीलिंग के तहत जब्द किया, प्रिवीपर्स बंद किए । चाहे हमारी पार्टी के ग्रंदर उस वक्त इस कारण से स्प्लिट ग्रा गई लेकिन उन्होंने इसको नहीं उन्होने साफ कहा कि जो साथ रहना चाहे, रहे लेकिन गरीब को उसका हक अरूर मिलेगा । जमीन को उन्होंने लाकर गरीबों में बांटने का प्रयास किया । . . . (व्यवधान)

VICE-CHAIRMAN (SHRI THE BRASKAR ANNAJI MASODKAR): Doctor Sahib, you can speak on any But the subject is agriculsubject. tural workers' minimum wages

डा० ग्र**ंकरार श्रहमद** खान: महोदय, बहुत सीधी ग्रौर साधारण सी बात है मैं जो कहा रहा हूं। उस गरीब मज्दूर को, जो कृषि मजदुर है, उसको भूमि का मालिक बनाने के लिए ...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Are you opposing the Bill or supporting the Bill.

I'R. ABRAR AHMED KHAN: I am supporting the Bill

कांग्रेस सरकार ने जो इतनी बार सीलिंग लगाई तो उसका मकसद सिर्फ यही था कि जो लोग जगीरदार बैठे हैं ग्रौर जमीन के मालिक बने बैठे हैं लेकिन खेती नहीं करते हैं, खेती करना है गरीब किसान, उसका परिवार, उन लोगों से वह जमीन लेकर इन गरीब किसानों में बाँटी जाए।

वास्तव में खेती करते हैं, उनके ग्रंदर अमीन बांटी जाए। तो मैं ग्रापके माध्यम में कहने जा रहा था कि हमें शा से यह रांग्रेस की रीति-नीति रही है, मगर दुख के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रयास होने के बावजद भी कहीं ब्यूरोकेसी के कारण, मैं सवाई माधोपूर का रहने वाला हूं, मैं श्रीपको बताना चाहूंगा कि वहां के प्रशासन ने यह कोशिश की विः गरीबों को जमीन दी जाए। एक जमीन है वहां --सवाई माधोपुर के बिल्कुल पास ही गांव माधोसिहपूरा में 20 बीघा जमीन है। उस जमीन को गरीबों को देने का प्रायस किया गया लेकिन वहीं पास के टाइगर प्रोजेक्ट के एक ड्राईरेक्टर थे मैं उनका नाम नहीं लेना चाहवा, उनका वहां के एक बहुत बड़े ग्रधिकारी में बड़ा मेल-जोल था, तो उन्होंने उनकी जमीन--कोई गंगा नगर जिले में कहीं रही होगी, जिसको उन्होंने बेच भी दिया था, तो उस बिकी हुई जमीन के बदले जो गरीबों को मिलने वाली जमीन थी 50 बीघा, उसको लिया ग्रौर भ्राज उन्होंने वहां होटल बना रखा है ग्रीर उसमें ऐशो-ग्राराम के साधन भी बना रखे हैं जब कि प्रशासन ने वह अमीन वापिस केंसिल कर दी । राज्य सरकार ने उस जमीन को केंसिल कर दिया । रिकार्ड के ग्रंदर उस पर राज्य सरकार का कब्जा है, लेकिन वह ठाकूर या जमीदार आज उस जमीन पर बैठा हुआ है स्रोर वह जमीन उनके ऐशो-ग्राराम का साधन बनी हुई है ग्रीर जो गरीब का हक है, वह उसे नहीं मिल रहा है।

मैं इसी संबंध में ग्रापको बताना चाहंगा कि ग्रहलुवालिया जी ने फतेहपूर काण्ड का जिक्र किया था (व्यवधान)

ग्रापको बताना चाह्रगा **अहल्**वालियाजी नेयहांफते**हप्**रकांड का जिक्र किया था। वह फतेहपुर कांड (व्यवधान) राम अवधेश जी, तो बहत बोलते हैं, कभी सुन भी लिया करें। मैं यह कह रहा था (क्यवधान) श्राप ग्रौर हम श्रभी लम्बे समय से यहां हैं सब कुछ ले ग्रायेंगे चिता न करें।

डिंग् अब्राट ग्रहमद खानी

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय. मैं यह कह रहा था कि माननीय ग्रहलवालिया जी ने स्पेशल मेंशन में फतहपुर ग्राम के कुछ व्यक्तियों द्वारा जिस व्यक्ति की नृशंस हत्या का जिक्र किया था तो वह पंजाब में एहता था। वह पंजाब में ग्रातंकवादियों की गोली से नहीं मरा, उसका सारा परिवार कृषक मजद्र था, जो फतेहपूर के भ्रंदर कृषि मजदरी करता था, खेतों पर मजदरी करता था। लेकिन मुझे बडे दुख के साथ यह कहना पड़ता हैं कि खेती मजदूरी करने वाले ग्रपनी इज्जत ग्रीर ग्राबर को नहीं बचा सके। उस इज्जत ग्रीर ग्राबरू को बचाने के लिए उस नौजवान को ग्रपनी जान की क्रवानी देनी पड़ी। स्रपनी इज्जत स्रौर म्राबरू को बचाने के लिए उसको जिन्दा जलना पड़ा तो यह एक कृषि मजदूर की हालत है। ग्रगर वह ग्रपनी बीबी को ठाकर के घर भेज देता जिसके यहां वह काम करती थीं तो शायद उसको जिन्दा नहीं जलना पड़ता, लिकन वह कृषि मजदर जो पंजाब में रहता था, म्रातंकवादियों की गोली से बचकर उसको ठाकुर के हाथों जिन्दा जलना पडा, क्योंकि वह अपनी बीबी की इज्जत अपने सामने लुटते हुए नहीं देखना चहता था मीर महोदय, वह कौन था? मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन वही जो इन्होंने कहा था कि जिसने विश्व नाथ प्रताप सिंह के इलैक्शन के समय में जिसके घर पर कार्यालय लगा, जिसके यहा वह खुद म्राए गए तो उस अगह पर इस प्रकॉर का घृणित कार्य होता है तो ज्यादा दुख हो जाता है। महोदय, मैं (व्यवधान) पासवान जी, कृषि मजद्रों से संबंधित मामला है।

उसकी बीबी कृषि मजदूर थी उस ठाकुर के यहां। ठाकुर ने कहा था कि अपनी बीबी को मेरेयहां भेजदो तो क्या मजदूरी करनी पडेगी । लेकिन वह गया; उसने अपनी बीबी को भेजना पसंद नहीं किया तो उसको जिंदा जलना पड़ा; उसको पकडकर ले जाया गया, जला दिया गद्या। तो यह की आज की वास्तविक हालत है।

इस दर्पण को देखने का प्रयास करिए, इस हकीकत को सुनने की हिम्मत रखिए। जो सही है वह सही है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। जो घटना हुई है आपकी भी जानकारी में है, मेरी भी जानकारी में है . सारे देश की जानकारी में है।

महोदर, मैं एक बात श्रीर श्रापके सामने रखना चाहता हूं। जो इषिहीन मजदूरों को भूमि बांटने की बात है, उस भूमि को या तो हम सीलिंग के किसी से लेते हैं, या उस भूमि को कोई अभने आप भूदान के अंतर्गत अगर दान करदे तो उस भूमि को हम बांटने हैं। मैं इस संबंध में जो भूदान की बात है, उस विषय पर श्रापको बताना चाहंगा कि कांग्रेस की हमेशा यह धारणा रहीं है कि भुदान में जो जमीन ग्राए, सीलिंग के श्रंतर्गत जो भी जमीन श्राए वह गरीबों को बांटी जाए । लेकिन दुख वहां होता है जब इस चीज का दम भरने वाले ही इप चीज के विपरीत चलें। भूदान में हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी भूदान के ग्रंदर ..(ब्यवधान)

PHOF. CHANDRESH P. THAKUR (Bihar): I am on a point of order. The Bill is on agricultural wages. Do agricultural wages include giving land to landless people?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): What is the point of order?

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: He is talking irrelevantly.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): I am on a point of order. Professor Sahib is not speaking from his seat. He should go to his seat and then raise the point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Even the hon. Minister was feeling a little tried about it. Please come to the Bill.

· डा० श्रारार ग्रहमः खान : उपा-ध्यक्ष महोदय, मुन्ने दुव है, प्रोफ़ेसर साहब तो बहुत इंटेलीजेंट हैं। कृषि मजदूर को अगर वास्तव में 'मजदूर' वर्ड हटाकर अगर कृषक बनाना है तो जो बात मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान देना होगा। कृषि मजदूर को जो वास्तव में कृषि करता है लेकिन मेजदूर है, भूमि का मालिक नहीं है, उस कृषि मजदूर की कैसे मजदूरी बढायी जाए, कैसे उसकी अनिग बढायी जाए ? तो अगर इषि मजदूर को भूमि देना अपराध है या पाप है या ब्राफ सरकार का दृष्टिकोण जानते हैं ताकि वह दृष्टिकीण यह नहीं है कि कृषि मजदूर कृषि मजदूर ही रहे, उसकी भूमि का मालिक तक नहीं बनने दिया जाए तो उनकी बात सही है, मैं गलत हूं। लेकिन ग्रगर मैं जो कह रहा हूं कि एक कृषि मजदूर जो वास्तर में कृषि करता है उसकी उस भूमि का मालिक बनाया जाए तो फ़िर यह बात सही है ग्रीर इस संबंध में मैं कह रहा था कि हम इषि मजदूर की यदि वास्तव में स्थिति सुधारना चाहते हैं, उसकी श्रानिम बढाना चाहते हैं, उसकी मजदूरी बढाना चाहते हैं तो उसको भूमि देनी पडेगी श्रीर भूमि के लिए देने याती हम सीलिंग के माध्यम से भूमि लेते हैं या कोई भूदान के ग्रंतर्गत जो भूमि दान कर देता है, उस भूमि को हमः गरीब किसान के ग्रंदर बोटते हैं, उन निर्धन किसानों के ग्रंदर, उन इषि मजदूरों के ग्रंदर बांटते हैं। ग्रगर बायबार कृषि मजदूर ही रिपीट करना है तो एक सेंटेंश में मैं तीन बार कृषि मजदूर कहता हूं, तो कृषि मजदूर में हम बाँटवे हैं। लेकिन दुख वहां होता है जहां खूद इस कार्यको करने वाले ही इसके वि५री चलते हैं।

4.00 P.M.

भूदान के श्रंतर्गत हमारे माननीय प्रवानमंत्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने भी बिनोवा भावे के कहने ५र भूदान किया था और भूदान करने के बाद जब उनकी पत्नी ने यह कहा कि यह ग्रापने क्या किया, भूदान कैसे कर दिया, कैसे श्रापने यह जमीन दे दी, तो उन्होंने श्रागरा हास्पिटल से पागलकन का सिंटिफ़िकेट

लेकर उस जमीन को वापस लेलिया। ...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please do not refer to all those things. You must come to the Bill.

श्री राम विलास पासवान : कहां से कहां जा रहे हैं ? कोई सीमा तो रिखए।

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश): देखिए, किसानों को ग्रब्तियार देने का सवाल है ...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : ग्रगर ग्राप इसमें पोलिटिक्स घुसाना चाहते हैं तो घुसाते रहिए लेकिन यदि ईमान-दारों से ग्रापको बिल पर बोलना हो, तो एक लाइन भी मैंने ग्रभी तक बिल के बारे में नहीं सुनी।

डा. श्रवरार श्रहमद खान रः माननीय मंत्री जी की बात सुनकर बड़ा दुःख हुन्ना ? ।

श्री राम विलास पासवान : श्रापकी वात सुनकर मुझे बड़ा दुःख हो रहा है कि कोई चीज तो ऐसी होनी चाहिए जिस पर हम लोग ईाानदारों से विचार करें। कोई तो ऐसी समस्या हो। सभी चीजों में पोलिटिक्स घुसाने के लिए तो सारा दिन पड़ा है। पूरे दिन तो हम पोलिटिक्स करते ही हैं।

श्रीमती सत्या बहिन : ग्राप ग्रापनी बात कहिए । ग्राप राजनीति से हटकर थोडा सोचिए ।

डा. ग्रबरार श्रहमद खान: मैं माननीय मंत्री जी को काफ़ी इंटेलिजेंट समझता था लेकिन श्राज मेरी गलतफ़हमी दूर हो रही है कि जब मेरे इतना बोलने के बाद भी उन्होंने यह कहा कि एक लाइन भी उन्होंने बिल के बारे में नहीं सुनी जब कि बार-बार कर रहा हूं... (व्यवधान) श्री राम विलास पासवान : यह सवाल कृषि मजदूरी का नहीं है, मिनियम वेजेज का है।

डा० श्र ∤रार श्रहमद खान : ग्रगर मजदूरों के स्तर को सुधारना है, कृषि मजदूरी का स्टेडर्ड श्राफ़ लिविंग बढाना है, उनकी मजदूरी बढानी है तो हमें ऋषि मजदूर से "मजदूर" शब्द हटाना पडेगा और उसको भूमि का मालिक बनाना पडेगा । अगर आप मजदूर को मजदूर बनाए रखना चाहते हैं तो उसकी स्थिति में कभी स्धार नहीं हो सकता है, उसका लिविर स्टेंडर्ड सूधर नहीं सकता है। यह कमी भूमि कामालिक बन नहीं सकता । वास्तव में कृषि करता है मजदूर श्रीर उसका लाभ उठाता है वह जमीदार दह ठाकुर । श्रगर अषि मजदूर का स्तर बढाना है, उसकी अनिग बढानो है तो इस चीज पर विचार करना होगा । मैंने जैसे शुरू में बलराम जीको मुवारकबाद दी थीं कि वह बहुत महत्वपूर्ण बिल इस सदन में लाए हैं, इसके पोछ उनकी यही धारणा रही है कि उस मजदूर मजदूरो दर बढ़ाई जाए, उसकी इनकम बढ़ाई जाए, उसके नाम से "मजदूर" हटाकर उसको किसो भूमि का मालिक बनाया जाए । त्रगर उसको भूमि का मालिक जाताह तो निश्चित रूप से यह सारी समस्याएं समाप्त हो सकती

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now, please conclude.

डा० अवरार अहमद खान : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, में यह कह रहा था कि यास्तव में जो गरीब चबका है कृषि मजदूरों का वह वही हैं जो गरोब किसानों की योजनाओं के तहत लाभ पाने का हकदार है। इस संबंध में में आपको उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में 1977 से 1980 के बंज वहां के ृष्धि मजदूरों ने, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों न एक आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन के कारण उनको 'डाकू' करार दिया गया था। वह लोग वह डाकू नहीं थे जिन्होंने करोड़ों

रुपए लूटे हों, वे तो वह लोग यें जो 100-50 रुपए लूटकर किसी की इज्जत बचाते थे, किसी को रोटी देते थे या किसी को कपड़ा देते मैं । लैंकिन उन 5000 श्रमिकों को, उन 5000 श्राधिक रूप से पिछड़े लोगों को वहां पर मारा गया ग्रीर मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि उनको मारने वाले हभारो ही पार्टी के लोग थें। मैं कांग्रेस पार्टी का मेम्बरहंइसलिए मुझे इश बात का दुःख हैं। वह लोग थैं—उस समय के शासक राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि उस समय मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए थे। उन्होंने उन आधिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को मारा जो कि अपने गरोब भाई-बहनों की इज्जत बचाने के लिए काम कर रहे थे।

मौलाना स्रोबैदुला खां स्राज्ञमी (उसर प्रदेश) : अपनी पार्टी के कुछ स्रोर लोगों की भी तारोफ कर दीजिए । राजीव गांधी मारने वाले थे... (व्यवधान) स्राप तस्वीर का एक ही रख मत देखिए, दूसरा भी देखिए ।

खाद्य श्रौर नागरिक पूर्ति मंद्रालय में राज्य मंद्री (श्री राम पूजन पटेंल): माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ऐसी बातें कर रहे हैं...(व्यवधान)

डा० ग्रंबरार ग्रहमद खान: मैं कह रहा हूं कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह हमारो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी जिसके उस समय शासक मुख्य मंत्री थे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह। जब इंदिरा जी को इस बात का पता लगा तो इनको लगा कि वे इनके ऊपर कार्यवाही करेंगे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया...(व्यवधान)

इस तरह से कृषि मजदूरों के ऊपर,
अशिक रूप से पिछड़े हुए लोगों पर
अन्याय बढ़ रहा हैं, उन पर अत्याचार
हो रहे हैं, उन गरीबों के विकास के लिए
जो काम होने चाहिए वे नहीं हो रहे हैं,
तो क्या होगा ? ... (व्यवधान) इसलिए
मैं बता रहा था कि जब इंदिरा जी को
पता लगा कि इन्होंने 5 हजार आदिमयों
को मरवा दिया है और इनको पता लगा कि

लगा कि वे इनको पर्धी से निकालने वाली है तो उन्होंने मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया । इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी श्रादमी डाकू बनना नहीं चाहता । डाकू वह गरीब भाषमी बनता है जिसको अपनी श्राधिक परिस्थिति से झगड़ना पड़ता है, अपनी बहु बेटी और अपनी मां की इज्जत को बचाने के लिए कुर्वानी करनी पड़ती हैं... (व्यवधान)

VICE-CHAIRMAN THE (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I will give you two minutes. Please conclude in two minutes.

डा० अवरार ग्रहमद खान: फ़ाइंडे को थोड़ा सा मौका मिलता है। मैं पांच मिनट में समाप्त कर रहा हं।

तो श्रीमन्, मैं यह कहा रहा था कि गरीब ग्रादमी मजबूरी में डाकू बनता है। जब उसके सामने अपनी बहन बेढी या मां की इज्जत बचाने का सवाल ग्रादा है वह हथियार उठावा है। इस संबध में मैं बेकल उत्साही जी के दो शेर जो उन्होंने मुझे दिए हैं, आपकी निगाह नजर करना चाहता हैं, वे अभी यहां नहीं हैं--

> मैं निर्धन हूं, मुझे दुनियां का दुर्बल लिख दिया जाये,

> मेरी सदियों में कोई सुख भरा पल लिख दिया जाये।

मेरे ही गांव के एक मेरी दूनियां ठाकूर ने लुटी है,

कहां जाऊं ठिकाना मेरा चंबल लिख दिया जाये

मैं सब कुछ बंचकर एक भरवा लूं,

मगर पहले कफन मेरा मेरी बेटी का ग्रांचल लिख दिया जाये।

यह उस गरीब व्यक्ति की धारणा है, उसकी मजबूरी है कि किन परिस्थितियों में वह गरीब ग्रादमी डाकू बनता है, हथि-मार उठ।ता है। अगर हम उनकी मज-ब्रियों को समझें, उनके विचारों को समझें तो शायद इस प्रकार के अत्याचार उनके साथ न हों। में कहना चाहता हूं कि जो कृषि मजदर है वेइ स प्रकार से ऋण के ग्रंदर द**बे रह**ते हैं कि उसकी बेटी की शादी आजाए तो शायद उसकी कई पीढियां बंधुमा मजदूरों के रूप में बंध जाती हैं। अगर उसने अपनी बेटी के हाथ पीले करने हों तो उसे ठाकूर के यहां अपनी बेटी के हाथ पीलें करने के में उसको लिखकर देना पड़ेगा हमारी अगली पीढियां तुम्हारे यहां काम करेंगी, कमाई करके तुमको देंगी। अगर तुम मजदरी भी नहीं दोगे तो दो जून रोटी श्राप उनको दे देना, फिरभी वह तुम्हारा काम करेंगी। तो यह कृषि मजद्रों की दशा है हमारे यहां . . . (व्यवधान)

श्री राम पूजन पटेल : श्रीमन्, मेरा प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर है...

VICE-CHAIRMAN THE (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Dr. Khan, the Minister is raising a point of order.

श्री राम पूजन पटेल : मा ननीय सदस्य जिस तग्ह की बात कर रहे हैं वह उचित नहीं हैं। कोई गरीब भी माखिर म्रपनी मान मर्यादा को बचाता है। गरीबों के खिलाफ ऐसी बात करना मैं समझता हूं कि उनकी मान मर्यादा का दर्मन करना है। अगर यह गड़बड़ है तो ग्राज जो बहत ऊंचे लोग बनते हैं वे अपनी मर्यादा कायम नहीं रखते हैं। गरीबों के लिए ऐसी बात करना उचित नहां है। हर ग्रादमी की म्रपनी इज्जत भीर मर्यादा होती है... (व्यवधान) माननीय सस्दय को संभलकर बोलना चाहिए, यह संसद् है...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): There is no point of order. the hon. Member is not denigrating poverty; he is pointing out to you what the poignant situation is.

DR. RATNAKAR PANDEY (Uttar Pradesh): It is a point of reaction.

डा० ग्रबरार ग्रहमद खान: उपसभाष्यक्ष महोदय, मंत्री जी को सूनकर मुझे बड़ा श्राश्चर्य हुग्रा , बड़ी हैरत हुई. मैं समझता थावह गांव के रहने वाले हैं ग्रीर मैं यह समझ कर चलता था कि गांव के कृषि मजद्र की भावना वह समझते होंगे। एक गांव में रहने वाले ग्रादमी की धारणा याद होगी, उनकी मजदूरी यदि होगी। जब मैंने इनका उत्तर सुना तो मझे बड़ी हैरत हुई कि हम तो पैंट-शेंट पहनने वाले हैं। मैं तो इनको गांव के लिवास में देखकर प्रभावित होता था कि इनको गांव के बारे में वास्तविकता का पता होग लेकिन पता लगा कि यह बिल्कुल ग्रनभिज्ञ हैं। गांव के अन्दर मेरा जन्म हुआ ---कोटा हिस्ट्रिक्ट में सवाई माधोपुर में--वहां पांच हजार की आबादी है। वहां मैंने शिक्षा प्राप्त की । सवाई मधोपुर जहां मेरी मां की शिक्षा हुई है उस गांव गींमयों की छट्टियों में नौकरी करने जाता था। मैं बताना चाहता हूं हलौदा गांव जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वह बैरवा जाति के किसानों का गांव है वहां पर किस प्रकार से कृषि मज्दरों की बहु-बेटियों को वहां के गुजरों ग्रौर ठाकुरों के यहां काम करने जाना पड़ता है। जहां पर बहू-बेटियों की इज्जत से खेला जाता है। जाग्रो ग्रीर जांच करवाग्री। हजारों गांव ऐसे हैं जहां उनकी बहू-बेटियों को जागीरदार के यहां काम करने। पड़ता है। उनको मजबूरी के ग्रंदर काम करना पड़ता है। ग्रगर वे नहीं करेंगी तो े उनके ग्रादिमयों को ग्रपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। मैं दुबारा कहंगा कि ग्रहल्वालिया साहब ने सुबह स्पेशल मेंशन दिया था कि पंजाब में फतहपुर के एक किसान को जिंदा जला दिया था। उसका परिवार कृषि मजदूर था ग्रौर उसने अपनी बीबी की इज्जत से खेलने नहीं दिया था इसलिए उसे जिंदा जला दिया । श्रीर मंती यहां वक्तव्य दे रहे हैं कि ग्राज हिन्द्स्तान के ग्रंदर ऐसा नहीं हो रहा है। गरीबों की इज्जत से नहीं खेला जा रहा है, कृषि मजदूरों की इज्जत से खेला जा रहा है। यह बहुत हैरान की बात है। (स्यवधान)

उप-सभाध्यक्ष (श्री भास्कर स्नन्नाजी मासोदकर) : स्राप इसी पर कन्फाइण्ड करिये।

डा० अवरार अहमद खान : मैं कन्फाइण्ड ही कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री ग्रन्ततराय देवशंकर दवे: जब यह सरकार में थे तो बोल नहीं सकते थे। ग्रव इनको ग्राप बोलने दीजिए। ग्राज इनको बोलने का मौका मिला है। वह दिल खोल कर बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डा० श्रवरारश्रहमद खान:बड़ी तंगदिली की बात है ऐसा कहना कि 6 महीने में नहीं हुन्ना, साल भर में नहीं हुन्ना । गरीब की आह बता रहा हूं, उसकी हालत बता रहा हूं। मैं 51 से लेकर ग्राज तक की बात कह रहा हूं। 47 से लेकर ब्राज तक की बात कर रहा हूं कि गांव के ग्रंदर गरीब की क्या हालते है। यह तंग-दिली की बात है। यह दूसरे तरीके से बात करना चाहते हैं लेकिन जो सच्चाई है उससे ग्राप मुकर नहीं सकते । जो सच्चाई है उससे पीठ नहीं मोड़ सकते कि म्राज किसी कृषि मजदूर की बहु-बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ नहीं हो रहा है। जिन जागीरदारों भ्रौर ठाकुरों के यहां काम करती हैं उनके साथ वे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं यह या तो व जानती हैं या जो लोग उनके सम्पर्क में रहते हैं, या उस गांव में रहते हैं वे जानते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Poverty is a concern of everybody. Everybody shares your concern. Let us not discuss it.

डा० ग्रबरार ग्रहमद खान : दो-तीन मिनट में खत्म कर रहा हूं । क्योंकि माननीय मंत्री जी ने छेड़ दिया था इसलिए मुझे वस्तुस्थिति कहनी पड़ी । दर्पण बताना पड़ा ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR):
Now please conclude. You have taken 30 minutes.

डा० **अवरार श्रहमद खान** : इस वस्तुस्थिति को जानते होंगे। लेकिन मझे बड़ी निराशा हुई उनके विचार सुनकर। दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं पेंशन योजना के बारे में । कृषि मजदूर जो मजदूरी करता है जिसको 18 रुपये, 20 रुपमे या 22 रुपमे मजदूरी मिलती है। पेंशन योजना के बारे में प्रभी कुछ दिन पहले माननीय श्रम मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था ग्रीर यह कहा था कि 200 रुपये प्रति मजदूर पेंशन निर्धारित कर रहे हैं---चाहे उसने एक दिन काम किया हो, दो दिन काम किया हो या दस दिन कम किया हो लेकिन उसके साथ एक कंडीशन थी कि उसका प्रोविडेंट फंड जमा हो । (व्यवधान) श्रापने यह कहा था कि चाहे उसने एक दिन काम किया हो, दस दिन काम किवा हो हमने उसके लिए दो सौ रुपये महीना पेंशन निर्धारित कर दी है लेकिन साथ ही उसमें कंडीशन यह रख दी है कि बशर्ते उसका प्रोविडट फंड जमा हो। लेकिन शायद हिन्द्रस्तान में कोई कृषि मजदूर ऐसा होगा जिसका कहीं प्रोविडेन्ट फण्ड का खाता होगा या उसका प्रोांवडेन्ट फण्ड जमा होता होगा। मेरी जानकारी में तो नहीं है ग्रौर ग्रगर मंत्री महोदय की जानकारी में हो तो वे ग्रवश्य बता दें। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने सप्लीमेंटरी के रूप में बीड़ी मजदूरों के बारे में पूछाथा ग्रौर मंत्री महोदय ने उसका उत्तर भी दिया था या कृषि मजदूरों ने कौन सा ऐसा ग्रपराध किया है कि उनका प्रोविडेन्ट उनका नियोक्ता यानी जिसके यहां वह काम करता है वह जमा नहीं करता जिसके कारण वह पेंशन से वंचित रह जाता है। मंत्री महोदय इस बात पर गहराई से विचार करें ग्रीर देखें कि कृषि मजदरों को पेंशन की सुविधा जिस प्रकार से ग्रन्य मजदूरों को मिलती है उसी प्रकार से मिला करे। ग्रगर प्रोविडेन्ट फण्ड के पैसे जमा नहीं होते हैं तो वह जमा करवायें ग्रौर उनको पेंशन दिलवार्ये ।

दूसरी ग्रंतिम बात में यह कहना चहता हूं कि मजदूरी के साथ साथ कृषि मजदूरों के राजनैतिक ग्रधिकार भी बहाल करने की ग्रावश्यकता । में पूछना चाहता

हं कि कृषि मजदूरों को कितने राजनैतिक ग्रंधिकार हैं ? यह बात हम भलीभांति जानते हैं कि बंधुन्ना मजदरों की कितने राजनैतिक अधिकार प्राप्त हैं। उसका वोट भी या तो जिसके यहां वह काम करता है वह डाल देता है या अगर वीट डालने जाता भी है तो मालिक के कहने के मुताबिक वोट डालता है सौर ग्रगर ग्रपनी मर्जी से वोट डालता है तो या तो निकाल दिया जाता है या जिन्दा नहीं रहता है। इस प्रकार की स्थिति ब्राज गांवों के अन्दर है। कृषि मजदूरों की राजनीतिक स्वतंत्रता ठाकुरों श्रीर अमींदारों ने खरीद ली है। इसलिए आप इन मजदुरों की राजनैतिक स्वतंत्रता को बहाल कवे, उन्हें उनके अधिकार दिलायें ताकि वे भ्रपने मत का प्रयोग कर सकें। उन पर किसी प्रकार का ग्रंकुश लगा हुमा न हो । उस म्रंक्श से उन्हें मुक्त करें।

YELAMANCHILI DR. SIVAJI (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, while welcoming the Private Member's Bill of Mr. N. E Balaram, I would like to state that as per the present population census, the number of people who are residing rural areas and are dependent agriculture is 60 crores, among whom those who actually work on agriculture number 20 crores. And the net domestic product in agriculture is something like Rs. 1,40,000 crore. This means, even if the entire amount is distributed among all the people who live in rural areas and depend on agriculture, without giving any share to the land-owners, it may not touch even ten rupees per day per person. So, under these circumstances, it is desirable that the demand for paying Rs. 20 per day has to be examined in its right perspective. Unless farm prices are raised, it only amounts to political gimmickry to demand Rs. 20 or Rs. 30 as the minimum wages.

Enforcing Minimum Wages Act is all the more difficult because the agricultural labourers are spread over lakhs of villages and the supply of labour is much more than the demand

[Dr. Yelamanchili Sivaji]

during the lean season. Even if the Government succeeds in forcing employers to pay what their economic condition allows them to the outcome would be disastrous. For example, in case of Kerala where the laws on minimum wages for agricultural workers were enforced in right perspective, the foodgrains production went down because the producers there switched over to other commercial crops, plantation crops. As we know, the production of foodgrains demands much more inputs in form of agricultural labour than the production of plantation crops. So the producers and farmers there. switching over to plantation crops. reduced the employment potential for the agricultural labour fact, went down. This is one of the reasons for the negative growth foodgrains production in However, in certain States like Punjab, where the production is high and the farmer gets reasonable remuneration, the demand for agricultural labour is also very high. Under these circumstances, more lasting beneficial means of raising the wage level are to considered. Like intensifying agriculture, establishing processing units in rural areas, launching employment guarantee mes, like the right to work, and other things. For intensification and diversification of agriculture, processing of farm produce should be taken up in That amounts to the village itself. vertical intensification of agriculture. And, by introducing a multiple cropping system, horizontal intensification two-fold Thismay be taken up. method of vertical and horizontal in- \mathbf{of} agriculture tensification holds the key to all the ills in the rural areas like poverty, unemployment and low wages. Till the intensification of agriculture, both vertical and horizontal, reaches a level when the surplus rural it would absorb manpower, the only way left for the agricultural labour is to incorporate the right to work in the Statute Book. That is how the National Front Government came out with the proposal to introduce the right to work in the Statute Book.

Unfortunately, the Congress Government that ruled this country for the last 40 years denied this because it involves a greater transfer of resources to the villages—for the Congress people were not prepared. So, the remedies recommended by politicians and the urban elite for the removal of rural poverty have one common feature, that is, these are all based on the assumption that the problem of rural poverty can be solved by adjustments or redistribution of incomes and wealth in the rural society itself. But, unfortunately, this proach is not correct. It only gives a double advantage to those who enunciate and advocate this. The first advantage is, by advocating the cause of the poor and the landless, the urban elite may claim that they are progressive. The second aspect is, by putting forward this argument make sure that the interests of urban elite are not touched at all. Unless some urban property and urban wealth is transferred and percolates to the rural areas, there is no point in dividing the rural population both vertically and horizontally, into several pieces, like agricultural labour, Kulaks, landless labour, SC labour, SC farmers, BC farmers and so on.

Sir, there is a sweet in northern India, called barfi. But barfi cannot be eaten whole at one time. So, what the barfi maker does is that he cuts it into several pieces, both horizontally and vertically and then only the whole thing is consumed. That is how the urban elite has made it a point to divide the rural society, both horizontally and vertically—which is not desirable

Sir, unless the production capacity in the agriculture sector is enhanced, it is not possible to spend more. The production capacity of the agriculture sector depends upon the size of the heldings and the level of technology that we use. Unfortunately, both of them are very low in this country. So, first of all, they should be enhanced.

And we ignore the fact that rural poverty is mainly due to exploitation and deprivation of agriculturists the urban society and the urban elite. No amount of redistribution within the village society is going to eradicate rural poverty and help the rural poor Even programmes of increasing agricultural productivity succeed unless it is ensured that the benefits of higher production accrue to the producers. Unfortunately, under the present set-up the benefits of higher production reach neither grower nor the consumer but middleman. So. swallowed by the unless it is ensured that fair and remunerative prices are given to farmer, it is not possible to percolate the benefits of higher production the lower level. So, I would like appeal to all of you to consider this aspect and see that the wealth that is there in the urban area is redistributed to the rural poor also.

Thank you very much.

KOTAIAH: PRAGADA *SHRT (Andhra Pradesh): I fully support the Agricultural workers (Minimum Wages and Welfare) Bill. introduced by the Hon. Member Shri Balaram which intends to facilitate agricultural workers minimum wages also some other facilities. Agricultural workers are an unorganised sector. There are large farmers, farmers and small farmers. They work on partnership basis. But the income they earn is not upto the expectations. Their standard of living did not improve. Whether he is a large farmer, marginal farmer or a small farmer all face the same problems. Agricultural labourers are not organised and thus face many problems. have to think how they can be organised and how they can earn their living.

Long back in 1947 we got our Independence. It's now 1990. So many governments have changed both in the Centre and States. But what ever we have been saying remain words. We wanted to reduce the number of agricultural labourers. could we do that? We should think why the number of agricultural labourers did not reduce. Apart that, since agriculture is a reasonal job we find people migrating villages to towns, to pull rikshaws or do some other odd jobs and they live in such an unhealthy and miserable conditions. Even then the life of agricultural labourer has not improved. However sympathetic we talk farmers we have done very little for them. There is a vast difference between factory workers who are organised and agricultural labourers are unorganised. Let me give example to show what I mean by unorganised sector. Agricultural labourer has to work even in the night in fields. As he is working a poisonous snake may sting him. He has to die in the field. There is no protection for him in this country. But the factory workers have all the facilities. Even by his own care essness if the factory worker losses his finger. medical facilities are available him. He can avail of Medical leave till he is cured and he is also paid during his leave period. There many other facilities which factory worker enjoys. I do not have hope that the agricultural labourers will get the minimum wages even if we make a constitutional provision. Why are these Minimum Wages Acts provided? According to the provision in this Act the minimum wages are fixed How are you going to implement them? What is the effective machinery to strictly enforce the wages that have already minimum been fixed under the Minimum Wages Act? Practically we are not covering the landlords. We are not covering

^{*}English Translation of the orginal speech delivered in Telugu.

[Shri Pragada Kotaiah]

the big agriculturists. We are not covering the agricultural labour. Here, in a factory there is the employer. Employers are there. They are registered under a particular law. They are subjected to factory laws; they are subjected to the Industrial Disputes Act and, therefore, they are eligible to all the benefits. But what is that the agricultural labourer, the marginal labourer or the marginal agriculturist or the small agriculturist, who has been working in field and who is subjected to accidents, is expected to get? Suppose a snake bites him and he automatically dies. What is the protection given to the agricultural labourer? We are going to support the agricultural labourer, but what is the fundamental and basic reason for our lagging behind in ensuring that they also enjoy the benefits that the workers in other sectors are enjoying.

Another question is that the agricultural worker has not been able to get employment throughout the year. It is said it is not possible. Where there is a three cropping pattern, it may be possible to get employment for nine to ten months in a year. Even there for two to three months they have to remain without employment. Is not there any scheme before this Government to ensure that during these two to three months in a vear when they are without work. they are kept engaged in some employment? In areas where there is no abundant water facility, no abundant irrigation facility and no threecropping pattern, they get employment only for four or five months in a year and for the rest of the period they are without employment. are we going to provide employment for the rest of the period in a year? Have we thought how we are going to provide alternative employment to all these people during these periods when they are without employment? It is not only the agricultural labourers, but several other classes of artisans in the rural parts of the country. Do you think that the Minimum

Wages Act in their cases is being enforced in the States? No, that is not enforced. According to Minimum Wages Act, their wages have to be revised once in two years at least, but there are State Governments whih have not for two years, not for three years, not for five years. but for years together have not revised the minimum wages. When we approached the Government of India. the Government of India took no action. Taking advantage of the unemployment among all these agricultural workers, the handloom workers and others, the Government formula was not followed and no ways and means were explored to ensure full employment to them.

During the drought, when people were given employment in the affected areas, even there the minimum wages already fixed under the were not given to them. They have gone to the court and judicial judgments are there. Even \mathbf{of} drought and near fatimes conditions. thev were not mine minimum wages and paid the Government was keeping silent.

the Government has For instance, introduced the Janata cloth for the benefit of the handloom weavers. This is what they say. But, in fact, it is not for the benefit of the handloom weavers, but for the benefit of the consumers. The Government has been taking advantage of the unemployment situation among the handloom weavers and they are paying pittance to them for the production of the Janata cloth. When we handloom weavers approached the Supreme Court of India through telegrams, our telegrams were accepted as writs and an adjudicator was appointed. The Central and State Governments preferred to contest the petition, but they did not agree to pay the minimum wages. I do not know how the Bill, even if it is adopted here, is going to be enforced by the Sate Governments, because the Central Government is not going to

implement it. After all, it is the States which have to implement the decisions. Unless we identify the agriculurists and farmers, who are employing the agricultural workers. how it is possible for any machinery to enforce the minimum wages for the agricultural workers? Agricultural workers are not only landless poor people...

Why this country is facing problems? Let me tell you one thing. In 1954 I've been a legislator for a province. In a village uncultivated government lands were there. We distributed these lands to landless labourers.

Landlords have occupied those lands. The agricuttural workers have no land. They were denied from occupying those lands...

*Then what happened there were Almost all the agricultural workers have become helpless. They have started running praja court. Then when the matter was brought to the notice of the then Chief Minister of Andhra Pradesh, he had set right the whole matter, divided the land and saw to it that all the land was given to the agricultural labourers.

*We have to organise non-farm jobs to agricultural workers. Do you know that all the grazing lands have been occupied by the rich people. Where is the grazing land in the villages? Even if you are going to give a milching cattle to the agricultural labourer and if he wants to have its for his own benefit and carry on with the dairying during the off season, there is not land for grazing the cattle. Where to get the grass? Where to get the land? Are we in a position to take back all the grazing lands and give it to the poor people to feed their cattle on those lands? All those practical things have to be looked into. Without that, it is not possible to help the agricultural labourers. There are several artisans in the rural areas and among them there are cobblers. May I know from whom our Government is purchasing

shoes? Our Government is purchasing shoes from Tata and Birlas and also big people. But in rural areas cobblers are prepared to manufacture shoes for the police in the States. The Government could have at least purchased the raw material required for the manufacture of shoes and made them available to the cobblers. By this they could have provided employment to the cobblers during the offseason. Mav I know from the Minister whether any single State Government this thing? No. We are is doing depending upon the rich people. We always talk about the landlords and the land reforms. But what about the big people in upper strata of society. How many big hotels are there? How many industries are there? How much capital has been given to them? Today, more than Rs. 5000 crores have been invested in the textile industry and we find today several hundreds of mills are closed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please conclude.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: I am the agricultural only referring to labourers and the poor people in the rural areas. Why are they poor? They are poor because of the policies which we are pursuing. Unless there is a rapid change in the attitude of the Government, unless there is a rapid evolution in all the measures which we take up, it will not be possible for all the agricultural workers to get Rs. 20 or 25 wages per day. How it is possible? When the agriculturists are not able to get a remunerative price for their produce, how it is possible for the agriculturists to pay Rs. 20 or 25 to the agricultural labourers. We have all sympathy \mathbf{for} the agricultural labourers. His standard of living must go up. How it is possible when we are not in a position to give a remunerative price to the agriculturists for the produce which he produces. There capitalists. When we produce cotton, it goes to the Cotton Corporation of India and other big mills. When

[Shri Pragada Kotaiah]

we produce tobacco that goes to exporters. When we produce cloth, that goes into the hands of the big people. Ultimately the producer is getting less and the consumer is being exploited. So all these things are mixed up. We cannot separate one issue from the other. How it is possible to separate one issue from the other? We have to combine...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please conclude now.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: After all I have not gone out of the way. I am only dealing with the agricultural labour and you have given hours and hours to other friends. Why do you ask me to conclude in ten minutes? I don't understand. I have not gone out of the way. I am confining myself to the subject because I am also a handloom... (Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): How much time you want?

SHRI PRAGADA KOTAIAH: I will be completing it in four-five minutes. I do not want much time. Then said, the minimum wages are being fixed under the Minimum Wages Act. Why the State Governments have not implemented it? Why the Centre has not taken care to implement Minimum Wages Act? That is what I have questioned. See, we have represented the matter through telegrams to the Chief Justice of the Supreme Court of India. That has been accepted as a writ and that has been given to an eminent jurist and he has filed a regular writ. That has come up for hearing and that has been admitted. Why the State Government and Central Government not come forward the writ petition? to plead against After all, what is it the handloom weavers have asked for? They have asked only the minimum wages not anything extra. What is the sub-

sidy you give? After all, you imagine justice the consumer is the social getting. He is getting a subsidy of 19 rupees per saree whereas the handloom weaver, producing Janata saree, is getting only Rs. 17 rupees. He is required to get 20 rupees under the Minimum Wages Act. What is social justice we are having? I congratulate Mr. N. E. Balaram for having brought this Bill but I am very doubtful whether the present Minister is capable of enforcing welfare measures for the benefit of the poor people in this country. That is my doubt because with the experience of not one year but with the experience of forty years, I have been telling this. Legislations are there but there is mone to enforce them. That is the actual condition. Therefore what we lost is only this thing. The Government either here or at the State level the people in power; wherever the $_{\mathbf{v}}$ are, either at the Centre or in the States, they must have a political will. There is a comprehensive legislation to cover employers and the employees in all the decentralised sectors to ensure pay ment of minimum wages, linked up with DA from time to time, based upon the cost of living. DA is meant only for the people in service and not for the people working in the field, not for unorganised workers. All DA increases from time to time it is to be linked up only with the people service, the bureaucracy but not to the poor people, actually producing the goods required by the people in this country. Therefore, what we should see is that our minimum wages should be linked up with the day-to-day increase in DA and also when we are subjected to accidents we must be eligible for free medical treament. Till such time we resume work, during that period, the wages payable to me are to be paid by the employers and then there must be a welfare fund. It is not a big thing to create a welfare fund, The Director General of Labour Welfare has appointed a Committee some three years back to look after welfare of the powerloom workers and also the handloom weavers. There

the Committee has suggested introduction of welfare fund for the benefit of powerloom workers and also the handloom weavers but that has been put in Labour Minister cold storage. The may be more anxious for the welfare of the toiling masses in this country. There are more than 10 lakhs of powerworkers. Why there are not subjected to rules? Why are they not subjected to the Industrial Disputes Act? It is because they are run by financiers. They are not run by the workers. They are run by financiers. Therefore they are not subjected to labour and industrial laws. Therefore, I would like to urge upon the Government to be sincere and to see that a comprehensive legislation is brought for the welfare of the workers in the unorganised sectors in the rural parts of the country on par with the orgawith the labourers, on par nised towns and service-men working in cities for their own benefit. Thank you, Sir.

VICE-CHAIRMAN (SHP.I THE BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Hon Members, there is a request Awadhesh Singhji. from Shri Ram When his Bill was called it was not introduced. But now he is making a request to introduce it. If the House agree, I will permit him to introduce the Bill. Should I permit him?

SHR) VISHVJIT P. SINGH (Maharashtra): What is the Bill about?

VICE-CHAIRMAN (SHRI THE BHASKAR ANNAJI MASODKAR): It is the Companies (Amendment) Bill. It was called. But he was not there to introduce it. I think it is not a very good practice. not a correct practice also to stop the debate and introduce it. When Member is called, he must be present. He was not present then. But he is making a special request to the House. I think it is for the House to decide

it. 483 R. S -10.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI JAGDEEP DHAN-KHAR): The Vice-Chairman may accede to the request of the hon. Mem-

रत्नाकर पाण्डेय : इनको वजनबद्ध करिए कि ग्रामें से ऐसी मलती न करें।

SHRI JAGDEEP DHANKHAR: He is normally present in the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please introduce.

THE COMPANIES (AMENDMENT) BILL, 1990.

श्रीराम ग्रवधेश सिंह (बिहार) : में प्रस्ताव करता हं कि --

कपनी अधिनियम, 1956 का ग्रीर संशोधन करने वाले विधेयक को पूर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री राम अवधेश सिंह : विधेयक को प्रःस्थापित करता हूं।

AGRICULTURAL WORKERS (MINIMUM WAGES AND WELFARE) BILL, 1986-CONTD.

SHRI SHABBIR AHMAD SALA-RIA: Mr. Vice-Chairman, the seeks to fulfil a need which has been existent for the welfare of the agricultural workers and there can be no two opinions about the efficacy and the need of the Bill. Therefore, I would welcome it and I would also congratulate Mr. Balaram for having brought this Bill. However, I will say that in the definition of the term